04 - प्राकृतिक संपदा को मानव संपदा में बदलने की चुनौती

05 - पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता के मायने?

06 - आंदोलनों की शक्तिः स्वतंत्रता संग्राम से जेन जी तक

07 - कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने किया कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण

A Daily News Magazine

भोपाल

मंगलवार, 18 अगस्त, 2026

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 346, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान से आजादी की मांग क्यों?

शैलेश

महंगाई, असेंबली सीटों में धांधली और पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और 'आजादी' के नारे गूंज रहे हैं। पढ़िए, शैलेश का विश्लेषण क्यों लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। हम भारतीय उसे ग़ुलाम कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर कहता है। लेकिन तकनीकी तौर पर वो पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। जब हम भारत में आजादी का अस्सीवाँ जयंती मना रहे हैं तब ग़ुलाम कश्मीर के लोग सड़क पर उतर कर आजादी के नारे लगा रहे हैं। श्रीनगर के वरिष्ठ पत्रकार राशिद राहिल बताते हैं कि गुलाम कश्मीर की राजधानी मुज्जफराबाद, प्रमुख शहर रावला कोट, मीरपुर जैसे बड़े शहरों में लोग जून से ही सड़कों पर हैं। पाकिस्तान की सेना कई बार गोलियाँ चला चुकी है। ग़ैर सरकारी सूत्र 90 से 300 तक आंदोलनकारियों के मारे जाने की ख़बर दे रहे हैं। उसके बाद भी आम लोगों का हुजूम सड़कों से जाने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहा है।

विरोध-प्रदर्शन भड़कने की वजहः राशिद राहिल का दावा है कि गुलाम कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान से आजादी और भारत में शामिल जम्मू कश्मीर से मिलना चाहते हैं। राशिद के मुताबिक यह आंदोलन 2023 में ही शुरू हो गया था। लेकिन जून 26 के बाद तेजी पकड़ने लगा। 2023 में लोग बिजली की कीमत बढ़ाये जाने के खिलाफ़ खड़े हुए थे। उसके साथ आटे की क़ीमत और महंगाई भी जुड़ गयी। 2023 तक कई स्थानीय संगठनों ने मिलकर अवामी एक्शन कमेटी का गठन किया और उसके बाद आंदोलन तेज होता गया। अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर और कई अन्य नेताओं को जून में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार भी बढ़ता गया।

गुलाम कश्मीर पर नियंत्रण करने वाली पाकिस्तान सरकार ने असेंबली के चुनाव की घोषणा कर दी तब एक और बड़ी मांग जुड़ गयी। आंदोलनकारियों ने पीओके असेंबली के उन 12 सीटों को ख़त्म करने की मांग की जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के लिए आरक्षित हैं।

आरक्षण के बहाने पाक नियंत्रणः पीओके या गुलाम कश्मीर असेंबली में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 6 जम्मू (भारत) से और 6 कश्मीर घाटी (भारत) से पाकिस्तान जाकर बसने वाले कश्मीरियों के लिए आरक्षित हैं। सारा विवाद इन्हीं सीटों को लेकर है। पीओके चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुलाम कश्मीर में रहने वाले कुल मतदाताओं की संख्या करीब 34 लाख है। कश्मीर घाटी से जाकर पाकिस्तान में बसने वाले मतदाताओं की संख्या सिर्फ़ 30 हजार और जम्मू से जाने वाले मतदाताओं की संख्या करीब 4 लाख बतायी गयी है।

अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि पाकिस्तान इन सीटों के चुनाव में धांधली कराता है। ग़ुलाम कश्मीर के भीतर पाकिस्तान में बसे मतदाताओं का अनुपात सही नहीं हैं।

पीओके में सीटों की स्थितिः कश्मीर घाटी से पाकिस्तान जाने वाले मात्र 30 हजार शरणार्थी 6 सांसद और जम्मू से विस्थापित 4 लाख शरणार्थी भी 6 सांसद चुनते हैं। दूसरी तरफ़ पीओके में रहने वाले क़रीब 34 लाख मतदाता सिर्फ़ 33 सीटों पर सीधे चुनाव करते हैं। उनका आरोप है कि 12 सीटों पर धांधली कर के पाकिस्तान अपने पिट्ठुओं को जिता लेता है और अपनी मर्जी का प्रधानमंत्री पीओके पर थोप देता है। इसका एक और कारण है। असेंबली की आठ सीटें नामांकन से भरी जाती हैं। इनमें 5 महिला, एक उलेमा, एक टेक्नोक्रेट और एक प्रवासी कश्मीरी के लिए आरक्षित है। नामांकन भी पाकिस्तान की मर्जी से होता है। इस तरह 53 में से 20 सीटों पर सीधे पाकिस्तान का नियंत्रण है। अवामी एक्शन कमेटी पीओके से बाहर (पाकिस्तान) से चुने जाने वाले 12 सीटों को ख़त्म करने की मांग कर रही है। उनकी मांग को नजरअंदाज करके हाल में असेंबली का चुनाव करा लिया गया।

'हम क्या चाहते? आजादी। हम ले के रहेंगे आजादी' 'पाकिस्तानी फोर्सेज आउट आउट' 'क्विट पाकिस्तान' (पाकिस्तान, कश्मीर छोड़ो) 'कश्मीर हमारा वतन है।' ये कुछ नारे हैं जो इन दिनों ग़ुलाम कश्मीर के प्रदर्शनकारियों के वायरल वीडियो में गूँज रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने पीओके में इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रखी है। उसके बावजूद प्रदर्शनों के वीडियो लगातार बाहर आ रहे हैं। तो क्या पीओके अब पाकिस्तान से अलग होने के रास्ते पा बढ़ रहा है?

श्रीनगर के पत्रकार राशिद राहिल कहते हैं कि गुलाम कश्मीर में हालात विस्फोटक हैं और वहां के लोग अब दमन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन इस्लामाबाद के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक इम्तियाज गुल कहते हैं कि सिर्फ कुछ हज़ार लोगों के सड़क पर आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि पूरा कश्मीर (पीओके) अब पाकिस्तान के खिलाफ़ हो गया है। उनके कुछ मसले हैं। उन पर ग़ौर करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ रावलकोट में थोड़े से लोग सड़कों पर हैं। कश्मीर (पाकिस्तानी) के बाहर से चुने जाने वाली 12 सीटों के सवाल को भी देखा जाना चाहिए। कश्मीर के लोग पाकिस्तान के खिलाफ़ नहीं हैं। जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवाँ में कुछ हज़ार लोग विरोध कर रहे हैं वैसे ही कश्मीर में है। उनके मसलों पर बात करने की ज़रूरत है।

पाकिस्तान के एक अन्य पत्रकार हामिद मीर एक वीडियो प्रोग्राम में कहते हैं- पाकिस्तान ने दो ग़ैर जरूरी फ्रंट खोले हैं, अपनी नहिली की वजह से। एक गिलगित बाल्टिस्तान में और दूसरा आजाद (ग़ुलाम) कश्मीर में।

पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर जूझ रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोही हथियारों से लैस हैं। खैबर पख्तूनवाँ में भी पाकिस्तानी सेना और पुलिस का विरोध हो रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान जिसे भारत ग़ुलाम कश्मीर का हिस्सा मानता है वो भी उबल रहा है। ग़ुलाम कश्मीर के हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

नितिन नवीन की टीम में राम माधव-स्मृति की वापसी

वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी, दक्षिण-पूर्व के चेहरों को मौका

2027 के विधानसभा रण से पहले भाजपा की नई टीम का ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। 2027 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया है। इस संगठनात्मक फेरबदल में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में इन दोनों दिग्गजों की एक बड़ी संगठनात्मक वापसी माना जा रहा है। इसके साथ ही इस नई टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। इस नई सूची में राम माधव, तीरथ सिंह रावत, बैजयंत जय पांडा, और मनप्रीत सिंह बादल जैसे वरिष्ठ नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं विनोद तावड़े और सुनील बंसल जैसे प्रमुख चेहरे भी संगठन की नई टीम में बरकरार रखे गए हैं।

नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाएं, यूपी से 3

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें वसुंधरा राजे, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोशी, डॉ. भारती पवार और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं स्मृति ईरानी, कविता पाटीदार, फांग्नोन कोन्यक और संगीता यादव राष्ट्रीय मंत्री बनी हैं। इसके अलावा रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की 3 महिलाओं का है, जबकि महाराष्ट्र की 2 और बाकी राज्यों की 1-1 महिला हैं। **(शेष पेज आठ पर)**

13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 8 राष्ट्रीय महामंत्री

बीजेपी की नई टीम में एम नागराजा, लाल सिंह आर्य, वर्षाबेन दोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बैजयंत जय पांडा, रेखा वर्मा, मधुचंद्र इस टीम में बरकरार हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती पवार, मनप्रीत सिंह बादल, तारिक मंसूर को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी ने बीएल संतोष को राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) के पद पर बरकरार रखा।

मध्यप्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं क्रियान्वयन ट्रस्ट की अपेक्स बैठक में भाग लिया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं क्रियान्वयन ट्रस्ट की तीसरी अपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रातः विमान से नई दिल्ली रवाना हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक आज सोमवार को नई दिल्ली के होटल अशोका में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट की शीर्ष मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तृतीय बैठक स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, नीति आयोग के पदाधिकारी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।

बैठक में प्रदेश को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से संचालित गतिविधियों पर चर्चा होगी। इसके अंतर्गत दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य), प्रदेश में एक्सप्रेस वे आधारित औद्योगिक विकास योजना और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की कार्य योजना पर विचार विमर्श होगा।

भीषण बाढ़-बारिश से यूपी-ओडिशा के बिगड़े हालात

प्रयागराज में लोगों के घरों में घुसा 3 फीट तक पानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूपी और ओडिशा के कई शहरों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रयागराज की कॉलोनियों में 3 से 4 फीट तक पानी भरने से कारें-बाइकें डूब गई हैं। कई घरों के ग्राउंड फ्लोर डूब गए हैं। लोग पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हैं। पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें नावों से लोगों का रेस्क्यू कर रही है। वहीं, ओडिशा के केंद्रपाड़ा में 312 छात्र और 10 शिक्षक दो दिन से स्कूल में फंसे हैं।

ओडिशा में बारिश से दीवार गिरी, दादी-पोते की मौत

ओडिशा के बालासोर जिले में लगातार बारिश के बीच पड़ोसी के घर की दीवार गिरने से दादी और पोते की मौत हो गई। हादसा रविवार रात जलेश्वर ब्लॉक के कपासुड़ा गांव में हुआ। दीवार उनके एस्बेस्टस वाले घर की छत पर गिर गई।

एनएच-53 का लगभग 100 मीटर हिस्सा धंसा

ओडिशा के केंद्रपाड़ा में एनएच-53 का लगभग 100 मीटर हिस्सा धंस गया। यह हाईवे पारादीप पोर्ट को जाजपुर से जोड़ता है। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और क्योंझर जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये जिले बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बुधबलंगा नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून की घटनाओं के कारण 30 जून से 16 अगस्त के बीच मरने वालों की संख्या 187 हो गई है।

रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमला

भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट को निशाना बनाया, 2 की मौत

मास्को (एजेंसी)। रूस ने शनिवार रात यूक्रेन के क्रिवी रिह शहर में भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल के स्टील प्लांट पर मिसाइल हमला किया। हमले में दो लोगों की मौत हो गई और 13 कर्मचारी व ठेकेदार घायल हुए हैं। यह यूक्रेन का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। हमले के बाद प्लांट में प्रोडक्शन का कुछ काम रोकना पड़ा। प्लांट की ऊर्जा व्यवस्था और ब्लास्ट फर्नेस से जुड़े अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। हमले के बाद दमकलकर्मी, बचाव दल और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव का काम जारी है। इस प्लांट पर रूस पहले भी हमला कर चुका है।

सुप्रभात

खँडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही
अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही
कैसी मशालें ले के चले तीरगी में आप
जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही
हमने तमाम उम्र अकेले सफ़र किया
हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही
मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा
या यूँ कहो कि बर्क़ की दहशत नहीं रही
हमको पता नहीं था हमें अब पता चला
इस मुल्क में हमारी हक़ूमत नहीं रही
कुछ दोस्तों से वैसे मरासिम नहीं रहे
कुछ दुश्मनों से वैसी अदावत नहीं रही
हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग
रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही
सीने में ज़िन्दगी के अलामात हैं अभी
गो ज़िन्दगी की कोई ज़रूरत नहीं रही।

- दुष्यंत सिंह

सीबीआई को जांच के लिए आदेश क्यों चाहिए

● सुप्रीम कोर्ट बोला, हाईकोर्ट की सुनवाई पर लगाई रोक ● राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति का है मामला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत दी है। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी है। सीबीआई और ईडी को भी निर्देश दिया कि वे हाईकोर्ट में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। सीबीआई अभी सिर्फ एक शिकायत की जांच कर रही है। बेंच ने पूछा कि अगर मामला इतना गंभीर है, तो सीबीआई-ईडी को जांच के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। राहुल ने मामले की सुनवाई किसी दूसरे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग भी की है। मामले की अगली सुनवाई 20 को होगी।

भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने याचिका दाखिल किया

कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था। उन्होंने सीबीआई और ईडी से इसकी जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपों के वेरिफिकेशन के आदेश दिए थे। इस मामले में विग्नेश शिशिर से पूछताछ भी कर चुकी है।

हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा था नया हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 20 जुलाई को सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया था। कोर्ट ने एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की अब तक की स्थिति बताते हुए नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई का पहले दाखिल किया गया हलफनामा उसके पुराने आदेश के मुताबिक नहीं था। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले सीबीआई के नई दिल्ली के एंटी करप्शन हेडक्वार्टर के संबंधित जोन के जॉइंट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ मंगलवार, 18 अगस्त 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

दंत चिकित्सकों के लिए 13 लाख तक सुरक्षा कवर

एमपी राज्य दंत परिषद शुरू करेगी दो योजनाएं, डिजिटल पंजीयन पोर्टल भी होगा लॉन्च

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के दंत चिकित्सकों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद दो नई योजनाएं शुरू करने जा रही है। परिषद की ओर से 'कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना' और 'सुश्रुत सुरक्षा योजना' की शुरुआत 19 अगस्त को भोपाल में होगी। इसके साथ ही दंत चिकित्सकों के लिए नया डिजिटल पंजीयन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।

कार्यक्रम 19 अगस्त को दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सांसद और दंत चिकित्सक डॉ. राजेश मिश्रा तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली की दंत पंजीयन बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य डॉ. उषा हेगड़े भी मौजूद रहेंगी।

दुर्घटना और दिव्यांगता में 3 लाख तक बीमा- परिषद के अनुसार 'कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना' के तहत प्रदेश में पंजीकृत दंत चिकित्सकों को 3 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं दिव्यांगता बीमा कवर उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में चिकित्सकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है।

देश में पहली ऐसी पहल- मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला और रजिस्ट्रार डॉ. हर्ष चंसोरिया ने बताया कि देश में दंत चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर इस तरह का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, दंत चिकित्सा विशेषज्ञ, विभिन्न डेंटल कॉलेजों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दंत चिकित्सक शामिल होंगे। परिषद का नया डिजिटल पंजीयन पोर्टल दंत चिकित्सकों की पंजीयन संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

मेडिको-लीगल मामलों के लिए 10 लाख तक कवर

दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ते मेडिको-लीगल मामलों और व्यावसायिक जोखिमों को देखते हुए 'सुश्रुत सुरक्षा योजना' शुरू की जाएगी। इसके तहत दंत चिकित्सकों को 10 लाख रुपए तक का प्रोफेशनल इंडेम्निटी कवर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। कार्यक्रम में मेडिको-लीगल मामलों पर चर्चा भी होगी। इसके लिए विशिष्ट अतिथि संजय कुमार पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहेंगे।

संक्षिप्त समाचार

100 दिन पूरे होने से पहले शुभेंदु सरकार की परीक्षा!

अन्नपूर्णा योजना, बांग्लादेश सीमा पर बाड़ के लिए दी जमीन

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार 100 दिन पूरे करने वाली है। चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक, नई राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना भी शुरू की है।

वादे के अनुसार, महिलाओं को इस योजना के तहत अब 3,000 रुपये मिल रहे हैं। जो पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपये से दोगुनी रकम है। साथ ही राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने जैसा अहम कदम भी उठाया है।

राहुल-सोनिया पर वंदे मातरम् के अपमान का लगाया आरोप

- जांच शुरू, दावा-राहुल ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था

बेंगलुरु (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के अपमान से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत 16 अगस्त को एस्टेट थाने में एक वकील ने दी थी। इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद सोनिया गांधी ने कुछ इशारे किए, जिन्हें गाना जारी रखने पर आपत्ति के तौर पर देखा गया। शिकायत में एक वीडियो का भी जिक्र है। इसमें राहुल गांधी के कथित तौर पर 'हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे' कहने का दावा किया गया है।

बैंकिंग सुधारों के लिए जल्द बनेगी हाई-लेवल कमेटी

- वित्त मंत्री ने कहा-बैंकों का एनपीए सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के लिए अपनी हाई-लेवल कमेटी का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में

आयोजित दो दिवसीय पीएसबी कॉन्क्लुएंस 2026 के पहले दिन यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक, इस कमेटी का गठन इसी महीने किया जा सकता है। इस हाई-लेवल कमेटी को गठित करने का प्रस्ताव सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई-लेवल कमेटी बनाने के प्लान का ऐलान किया था। इसका मुख्य मकसद बैंकिंग सेक्टर को देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ढालना और समीक्षा करना है।

अजनबियों को नहीं दी जा सकती है एसआईटी रिपोर्ट

- राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोले एसजी

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उन्हें भी जांच से जुड़ी रिपोर्ट दी जानी चाहिए, ताकि वे अदालत की मदद कर सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- जांच रिपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं दी जा सकती, जो मामले से सीधे जुड़े नहीं हैं। इस पर वकील

ने कहा- हम अजनबी नहीं हैं। यह याचिका भारत की जनता की ओर से दायर की गई है। उन्होंने कहा- हमें सच जानने का मौलिक अधिकार है। अगर जांच से जुड़ी जानकारी किसी आरोपी या जांच में मदद कर रहे व्यक्ति को दे दी गई और याचिकाकर्ताओं को इससे दूर रखा गया, तो वे अदालत की सहायता करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा- एसआईटी का गठन हमने किया है। यह अदालत के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। इसे अपनी रिपोर्ट हमें ही सौंपनी होगी।

अमंगलकारी 'सोमवार' 15 लोगों की मौत

बिहार के लखीसराय में भगदड़, 7 महिलाओं की मौत

बंगाल में बीरभूम के होटल में लगी आग, 8 की मौत

लखीसराय (एजेंसी)। बिहार के लखीसराय में सोमवार को भगदड़ मच गई। हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। घटना अशोकधाम स्टेशन से मंदिर जाने वाले रास्ते पर हुई। लखीसराय डीएम शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिर गया। इसके बाद अफवाह फैली कि लोगों पर बिजली की चालू लाइन का तार गिर गया, जबकि वह सिर्फ एक

केबल वायर (डिश/इंटरनेट का तार) था। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की लाइन पर पड़ा, जिससे वे एक-दूसरे पर गिर गईं। चार मृतकों की पहचान हुई है। इनमें लखीसराय की मधुबाला देवी, मनमाला देवी, हेमलता देवी और मुंगेर की रिंकू देवी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है।

श्रद्धालु बोले- करंट की बात सुनकर लोग भागने लगे

दर्शन के लिए लाइन में लगे श्रद्धालु ने कहा, 'बहुत भीड़ थी। तभी पोल गिरने और करंट लगने की बात फैली। इसके बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, तभी बैरिकेडिंग टूटी और लोग एक-दूसरे पर गिर गए।' लखीसराय हादसे के बाद मंत्री विजय सिन्हा मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि करंट की अफवाह फैलने के बाद भगदड़ मची। इस मामले की जांच कराई जाएगी।

बंगाल में शॉर्ट सर्किट से हादसा, 8 की गई जान

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ मंदिर के पास एक होटल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर

रूप से घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका है। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। बीरभूम के एसपी विदित राज भुंडेश के मुताबिक, होटल के बाहर से धुआं या आग की लपटें दिखाई नहीं दे रही थीं।

राजस्थान दौरे में केंद्रीय मंत्री शिवराज ने दी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2.89 लाख पक्के मकानों की स्वीकृति

बारां/नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजस्थान प्रवास के दौरान बारां में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को 2,89,355 आवासों की स्वीकृति एवं 3,473 करोड़ रुपये की परियोजना का पत्र सौंपा, साथ ही कृषि उन्नति व पीएम आरकेवीवाई के लिए 340.59 करोड़ रु. की राशि का भी स्वीकृति पत्र दिया। कार्यक्रम में सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री व बड़ी संख्या में क्षेत्रीय निवासी मौजूद रहे।

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान के गरीब भाई-बहनों को पक्के घर देने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा किया जा रहा है। आज 2,89,355 घरों की स्वीकृति 3,473 करोड़ रुपये की लागत से राजस्थान को समर्पित की जा रही है, ये सौगात सीधे उन परिवारों के जीवन में बदलाव लाएगी जो अभी तक कच्चे मकान में रहते थे। साथ ही कृषि से जुड़ी योजनाओं के तहत 340.59 करोड़ रुपये भी राज्य के विकास के लिए जारी किए गए।

सर्वे और अगले कदम

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि 29,13,749 नए लाभार्थियों का सर्वे किया गया है और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद शेष पात्रों को भी घर आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने जिला और पंचायत स्तर पर पारदर्शी लिस्ट चिपकाने, आपत्तियाँ सुनने और गलत कटौती रोकने का निर्देश दिया ताकि पात्रों के नाम गलती से न कटें।

मुख्यमंत्री आज भोपाल में श्री गुरू रविदास समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का करेंगे शुभारंभ

संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संत शिरोमणि गुरू रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर रवीन्द्र भवन, भोपाल में पूर्वान्ह 11 बजे से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश व्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए पावन कलश रवाना किए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में उनके जीवन-दर्शन और समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से राज्य व्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा का आयोजन 18 अगस्त से किया जायेगा। अभियान के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

प्रत्येक जिले में होगी कलश रथ यात्रा- अभियान अंतर्गत समस्त जिला मुख्यालयों पर 20 अगस्त, 2026 को कलश वंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पावन कलश को कलश रथ में स्थानीय रविदास मंदिर एवं ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 अगस्त से 10 सितम्बर 2026 तक निर्धारित मार्ग पर कलश रथ यात्रा आयोजित की जाएगी।

स्थानीय स्तर पर होंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम- अभियान के दौरान जिला एवं ग्राम स्तर एवं चिन्हित स्थानीय मंदिरों में विविध स्वरुप के आयोजन यथा सामूहिक आरती, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या, समरसता संकल्प और अन्य स्थानीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्थानीय संतों, गुरुओं, समाज के प्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक निकलेगी समरसता यात्रा- श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा 5 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 2026 के मध्य आयोजित होगी। इसमें डेरा सचखण्ड, बल्ल्न (जालंधर) से प्रारंभ होने वाली यात्रा मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। यात्रा के प्रमुख पड़ावों पर यात्रा का भव्य स्वागत, समरसता संकल्प, समरसता गोष्ठी और समता, सेवा, सामाजिक न्याय एवं बेगमपुरा के आदर्श समाज संबंधी संदेश पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

एम.पी. ट्रांसको शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन को मिली राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश शासन के उपक्रम मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) के शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन ने उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करते हुए राज्य स्तरीय सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन ट्रॉफी हासिल की है। यह सम्मान वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन, दक्षता, कार्यकुशलता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों के आधार पर प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की विद्युत कंपनियों के मुख्यालय जबलपुर में आयोजित मुख्य समारोह में कार्यपालन अभियंता श्री अजीत वर्मा ने शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन की ओर से यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। पुरस्कार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री सुनील तिवारी एवं समारोह के विशेष अतिथि एम.पी. ट्रांसको के सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक तथा ट्रांसमिशन क्षेत्र के विशेषज्ञ श्री स्वराज शर्मा ने प्रदान की। शिवपुरी टेस्टिंग डिवीजन को यह उपलब्धि प्रदेश के 45 सभी ट्रांसमिशन टेस्टिंग डिवीजनों के बीच नियमित तकनीकी कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, सतत प्रशिक्षण, कार्यकुशलता एवं तकनीकी दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्राप्त हुई है। डिवीजन द्वारा अपने नियमित परीक्षण एवं तकनीकी दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के साथ कर्मचारियों के कौशल विकास और सतत प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी मूल्यांकन के दौरान विशेष महत्व मिला।

उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ जैसे हालात

- 13 घायल, कई बेहोश; कतार में थे 40 हजार श्रद्धालु
- सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं कपाट, भारी भीड़ उमड़ी इसलिए बिगड़ी स्थिति

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि यहां करंट फैलने की अफवाह फैली थी। लोग-एक दूसरे के ऊपर गिर गए। दबाव बढ़ने से 13 लोगों को चोट आई है। प्राथमिक इलाज के बाद 3 को छोड़कर सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, यहां नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए करीब 40 हजार श्रद्धालु लाइन में लगे हैं। अब तक करीब 5.50 लाख श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। यह मंदिर महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर है। यह नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है। जिन श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी उन्हें उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने

मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि घायलों ने भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और मदद मिलने में देरी का आरोप लगाया।

घायल बोला- प्रशासन से मदद मिलने में देरी हुई

भगदड़ में घायल सागर ने बताया कि घटना से पहले मैं महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगा था। 7-8 घंटे बाद हरसिद्धि चौराहे तक पहुंचा। वहां हमें दो घंटे तक खड़ा रखा गया। भीड़ बढ़ रही थी और आरती का समय होने के कारण हमें वहीं रोक दिया गया।

रसीद काटकर वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे

सागर के मुताबिक इस दौरान वीआईपी दर्शन चालू था। 3 सौ रुपए की रसीद काटकर वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे। सागर ने कहा- मैं कल भी महाकाल मंदिर गया था। कल भी भारी भीड़ के बीच वीआईपी लोगों को एंट्री मिल रही थी। आम लोग मानसरोवर गेट पर चार घंटे से खड़े थे।

महिला बोली- बेटी बोल नहीं पा रही, दांत भी टूट गए हैं

ग्वालियर से आई एक अन्य श्रद्धालु आरती ने बताया कि उनकी बेटी भी घटना में घायल हुई है। उन्होंने कहा- हम ग्वालियर से दर्शन के लिए आए थे और अब परेशान हैं। उसने पानी तक नहीं पीया है। वह बोल नहीं पा रही है। उसके दांत टूट गए हैं। भगदड़ मची थी। उसे चक्कर आया और वह रेलिंग पर गिर गई। बेहोश होने के बाद हमें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा- श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन निर्बाध रूप से जारी हैं। मंदिर परिसर में किसी भी तरह की अफरा-तफरी या अप्रिय घटना नहीं हुई है।

रात 12 बजे से भोपाल में टैक्सियां बंद

19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस पर धरना, मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में सोमवार की रात 12 बजे से टैक्सी सेवाएं बंद हो जाएंगी। भोपाल टैक्सी चालक संघ (भारतीय मजदूर संघ सम्बद्ध) और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के संयुक्त मोर्चे ने 18 अगस्त से शहर में टैक्सी संचालन पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया है।

संगठन का कहना है कि एग्रीगेटर कंपनियों की कथित मनमानी, लगातार बढ़ते खर्च और शासन-प्रशासन द्वारा मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से ड्राइवर आर्थिक संकट में हैं। बता दें कि भोपाल में कुल 3500 टैक्सियां संचालित होती हैं।

19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस पर धरना

संयुक्त मोर्चे की ओर से 19 अगस्त को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर टैक्सी चालकों की समस्याओं के जल्द निराकरण की मांग की जाएगी। संगठन ने कहा है कि बंद और धरना शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

क्यों बंद रहेंगी टैक्सियां?

टैक्सी चालक संगठनों के मुताबिक उनकी सबसे प्रमुख मांग टैक्सी का सरकारी स्तर पर

किराया निर्धारित करना है। इसके बाद एग्रीगेटर कंपनियों को उसी निर्धारित किराए पर टैक्सी चलाने के लिए बाध्य करने का आदेश जारी करने की मांग है। ड्राइवरों का कहना है कि मौजूदा किराए में ईंधन, वाहन रखरखाव, बीमा, किस्त और परिवार का खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है।

प्राइवेट नंबर के वाहनों पर रोक की मांग

संयुक्त मोर्चे ने एग्रीगेटर कंपनियों के जरिए संचालित नॉन-कमर्शियल यानी प्राइवेट नंबर वाले कार, बाइक और ई-रिक्शा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि इन वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से वैध कमर्शियल टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों की आय प्रभावित हो रही है।

बंद से आम लोगों को क्या परेशानी होगी?

18 अगस्त से टैक्सी संचालन बंद रहने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और शहर के अन्य हिस्सों के बीच कैब से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। खासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने-आने वाले यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा।संयुक्त मोर्चे ने आम जनता को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा है कि ड्राइवर भी अपनी आजीविका बचाने के लिए आंदोलन के लिए मजबूर हैं।

बंद के दौरान क्या अपील की गई?

संगठनों ने कहा है कि संयुक्त मोर्चे का बंद शांतिपूर्ण रहेगा। किसी असामाजिक तत्व द्वारा गैर-कानूनी गतिविधि किए जाने पर संगठन ने स्वयं को उसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया है। प्रशासन से भी बंद और धरना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की गई है।

मांगें नहीं मानीं तो अनिश्चितकालीन बंद

संयुक्त मोर्चे ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार और एग्रीगेटर कंपनियों की ओर से मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन टैक्सी बंद में बदला जा सकता है। संगठन का कहना है कि जब तक टैक्सी चालकों के लिए उचित किराया तय नहीं होता और एग्रीगेटर कंपनियों की कथित मनमानी पर रोक नहीं लगती, तब तक आंदोलन जारी रखने पर विचार किया जाएगा।

भोपाल में टेरिटोरियल फाइट में गई शावक की जान

समरधा जंगल में मिला था शव; डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्ट्म

भोपाल (नप्र)। भोपाल के पास समरधा जंगल में बाघ के जिस शावक का शव रविवार को मिला था, उसका सोमवार को दाह संस्कार कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में टेरिटोरियल फाइट (क्षेत्रीय वर्चस्व) में बड़े बाघ द्वारा शावक पर हमला करना सामने आया है। पोस्टमार्ट्म में मृत शावक के शव के सभी अंत सुरक्षित मिले हैं।

रायसेन रोड स्थित हरिपुरा गांव की फॉरेस्ट चौकी के पास में बाघ का शव मिला था। शावक की उम्र करीब एक साल थी। गर्दन पर चोंट के निशान भी मिले थे। ऐसे में आपसी संघर्ष की आशंका थी। सोमवार को वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सक डॉ. प्रशांत देशमुख और डॉ. अमित ओढ़ ने मृत बाघ के शव का पोस्टमार्ट्म किया। इस दौरान बाघ के सभी अंग सुरक्षित मिले।

वहीं, शावक की मृत्यु का कारण बड़े बाघ के टेरिटोरियल फाइट से होना सामने आया। डीएफओ लोकप्रिय भारती ने बताया कि पोस्टमार्ट्म के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, शवदाह कर दिया गया।

भोपाल में ऐसा मामला सामने नहीं आया- बाघ एक्सपर्ट राशिद नूर ने बताया, बाघ शावक की मौत की वजह टेरिटोरियल फाइट बताया जा रहा है। अभी तक भोपाल में टाइगर के

आपसी संघर्ष के मामले नहीं आए हैं। ऐसे में भोपाल में ऐसा पहला मामला है।

रायसेन के जंगल से आया बाघ- जिस बाघ ने शावक पर हमला किया, संभवतः वह रायसेन के जंगल में आया था। एक्सपर्ट नूर ने बताया कि रायसेन जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई, निर्माण की वजह से जंगली जानवर भोपाल की सीमा में आ जाते हैं। ऐसे में संभव है कि वयस्क बाघ अपना क्षेत्रीय अधिकार जमाने के लिए यहां आया और उसका बाघ शावक से सामना हो गया।

मनोज जैन 'मधुर' को इन्द्र बहादुर खरे स्मृति साहित्य गौरव अलंकरण

भोपाल। विश्ववाणी हिन्दी संस्थान द्वारा साहित्यकार मनोज जैन मधुर (भोपाल) को उनकी उत्कृष्ट रचनाधर्मिता के सम्मान स्वरूप प्रतिष्ठित कविवर इन्द्र बहादुर खरे स्मृति साहित्य गौरव अलंकरण 2026 से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है। मनोज जैन मधुर को यह अलंकरण उनके चर्चित गीत संग्रह धूप भरकर मुट्ठियों में, दो नवगीत संग्रहों तथा एक बाल गीत संग्रह में निहित अनूप सृजन-वैभव और अनवरत साहित्य-सेवा के आधार पर प्रदान किया जा रहा है। संस्थान प्रमुख संजीव वर्मा सलिल के अनुसार, इस गरिमामय अलंकरण के अंतर्गत 2500 रुपये की सम्मान राशि एवं प्रशस्ति-पत्र ससम्मान भेंट किया जाएगा। यह भव्य सम्मान समारोह आगामी 20 अगस्त 2026 को अपराह्नकाल में भोपाल स्थित दुष्यंत संग्रहालय के गरिमामय प्रांगण में आयोजित होगा।

कर्मचारियों के हित में बड़ी पहल, 2011 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिली पदोन्नति

10 वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया मात्र 22 दिनों में पूरी

भोपाल (नप्र)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके हितों एवं कल्याण के प्रति निरंतर संवेदनशील है। इसी क्रम में कंपनी द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2025 के अनुपालन में 38 संवर्गों के 2,011 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

लगभग एक दशक से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को कंपनी द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ मात्र 22 दिनों में पूर्ण किया गया। इस पहल से 2,011 अधिकारियों-कर्मचारियों एवं उनके परिवारों में खुशी का माहौल बना है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी स्तर पर कुल 620 समयमान वेतनमान प्रकरणों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रियाओं के माध्यम से कर्मचारियों के विकास के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

कृषक कल्याण वर्ष 2026 की मूल भावना के अनुरूप किसानों को मिल रही निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली

5 में 2.21 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिले नवीन घरेलू एवं कृषि पंप बिजली कनेक्शन

भोपाल। राज्य सरकार द्वारा घोषित 'कृषक कल्याण वर्ष 2026' की मूल भावना के अनुरूप मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किसानों को निर्बाध, गुणवत्तापूर्ण एवं भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है।

ग्रामीण परिवारों एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए अभिनव योजना के अंतर्गत मात्र 5 में स्थायी घरेलू एवं कृषि पंप विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक 2.21 लाख ग्रामीण उपभोक्ताओं को नवीन विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनमें 1.18 लाख कृषि एवं 1.02 लाख घरेलू उपभोक्ता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीपीएल श्रेणी के 10,327 उपभोक्ताओं को भी मात्र 5 में बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

कंपनी द्वारा किसानों को सुगम एवं विश्वसनीय सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'स्वयं का ट्रांसफार्मर' योजना का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.48 लाख से अधिक कृषकों को लाभान्वित किया गया है। योजना के माध्यम से किसानों के कृषि पंपों के लिए अधिक विश्वसनीय एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कृषि क्षेत्र की विद्युत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं उपभोक्ता सुविधाओं के विस्तार का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराकर उनकी सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा ग्रामीण परिवारों को सरल एवं सुगम विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है।

तीन जॉइंट कलेक्टर बने अपर कलेक्टर

पांच तहसीलदार-एसएलआर डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोट, एक जनवरी से पदोन्नत माने जाएंगे अधिकारी

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में विभागीय जांच के कारण लंबे समय से अटके अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने अलग-अलग आदेश जारी कर तीन जॉइंट कलेक्टरों को अपर कलेक्टर और पांच तहसीलदार-एसएलआर को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया है। जांच में क्लीनचिट मिलने के बाद इन अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है।

इन सभी को एक जनवरी 2026 से पदोन्नत माना जाएगा, हालांकि वेतन और भत्तों का वास्तविक लाभ जुलाई 2026 से मिलेगा। इसके अलावा दो डिप्टी कलेक्टरों की परिवीक्षाधीन अवधि (प्रोबेशन पीरियड) भी नौ साल बाद समाप्त कर उन्हें नियमित डिप्टी कलेक्टर घोषित किया गया है।

तीन जॉइंट कलेक्टरों को अपर कलेक्टर पद पर प्रमोशन

जीएडी के आदेश के मुताबिक भोपाल में संयुक्त कलेक्टर के रूप में पदस्थ रहे और वर्तमान में शिवपुरी में पदस्थ जेपी गुप्ता को विभागीय जांच पूरी होने के बाद अपर कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है। उन्हें 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2024 तक काल्पनिक पदोन्नति का लाभ दिया गया है। इसी तरह मणिंद्र कुमार सिंह को 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2026 तक काल्पनिक वेतनमान देते हुए अपर कलेक्टर पद पर प्रमोट किया गया है। विभागीय जांच के कारण उनकी पदोन्नति लंबित थी।

रिटायर्ड अधिकारी कौशल सिंह गौर को भी 1 जनवरी 2021 से सेवानिवृत्ति की तारीख 1 जनवरी 2024 तक काल्पनिक वेतनमान के साथ अपर कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है।

पांच तहसीलदार-एसएलआर बने डिप्टी कलेक्टर

जीएडी ने पांच एसएलआर और तहसीदार स्तर के अधिकारियों को डिप्टी कलेक्टर पद पर प्रमोट करते हुए यथावत पदस्थ रखा है। इनमें वैद्यनाथ वासनिक, विवेक गुप्ता, नवनीत कुमार शर्मा, नरेश चंद्र गुप्ता और संजय कुमार जैन शामिल हैं। विभागीय जांच के कारण इनकी पदोन्नति भी लंबे समय से लंबित थी।

तीन डिप्टी कलेक्टर बने जॉइंट कलेक्टर

इसके अलावा विभागीय जांच पूरी होने के बाद तीन डिप्टी कलेक्टरों को जॉइंट कलेक्टर पद पर पदोन्नति दी गई है। इनमें राकेश सिंह मरकाम, संतोष कुमार तिवारी और रवीश कुमार श्रीवास्तव शामिल हैं। इन अधिकारियों को क्रमशः 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी 2023 से काल्पनिक वेतनमान का लाभ दिया गया है। हालांकि वेतनमान का वास्तविक लाभ जीएडी के ताजा आदेश के बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा।

नौ साल बाद खत्म हुआ डिप्टी कलेक्टर का प्रोबेशन

बुरहानपुर में पदस्थापना के दौरान जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोपों से घिरी डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी का प्रोबेशन पीरियड करीब नौ साल बाद समाप्त किया गया है। उन्होंने 13 दिसंबर 2017 को सेवा जॉइन की थी और उनका प्रोबेशन 2019 में खत्म होना था। विभागीय प्रक्रिया में देरी और बाद में जांच के कारण मामला लंबित रहा। अब उन्हें नियमित डिप्टी कलेक्टर घोषित किया गया है। इसी तरह डिप्टी कलेक्टर राहुल सिलाड़िया का भी प्रोबेशन पीरियड समाप्त किया गया है। उनके सेवा जॉइन करने की तारीख से संबंधित आदेश में दर्ज विवरण के आधार पर उन्हें नियमित डिप्टी कलेक्टर घोषित किया गया है।

ट्विशा केस : रिटायर्ड जज गिरिबाला पर दहेज हत्या का केस

सीबीआई ने 636 पेज की चार्जशीट पेश की, 150 गवाहों से पूछताछ हुई

भोपाल (नप्र)। मॉडल-एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने कोर्ट में 636 पेज की चार्जशीट पेश कर दी है। इसमें दोनों आरोपियों- सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने जांच के दौरान करीब 150 गवाहों से पूछताछ की। चार्जशीट और दस्तावेजों की औपचारिक प्रक्रिया अभी पूरी हो रही है। सीबीआई ने दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 80 (2) यानी दहेज हत्या, धारा 85 यानि पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता, धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, 3 (5) दहेज के लेनदेन के अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 लगाई है। ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा- चार्जशीट में क्रूरता के आरोपों की पुष्टि हुई है।ट्विशा की 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी।

नई टाइमिंग में दौड़ी भोपाल मेट्रो...

हर रोज 62 फेरे लगाएगी; रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन 70 ट्रिप

भोपाल (नप्र)। भोपाल मेट्रो सोमवार से नई टाइमिंग पर दौड़ी। सुबह 11.30 बजे से सुभाषनगर से पहली मेट्रो एम्स के लिए रवाना हुई, जबकि दोपहर 12 बजे एम्स से सुभाषनगर के लिए मेट्रो चली। मेट्रो प्रबंधन के अनुसार सोमवार से शनिवार तक मेट्रो हर रोज 62 फेरे लगाएगी, जबकि रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 70 ट्रिप रहेंगी।

नए शेड्यूल के अनुसार नई समय-सारणी के तहत अब सप्ताह के सभी दिनों में यात्रियों को हर 15 मिनट के अंतराल पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। पूरे परिचालन समय में समान अंतराल पर मेट्रो का संचालन होगा। रविवार और सार्वजनिक अवकाश वाले दिन मेट्रो की टाइमिंग 1 घंटा ज्यादा रहेंगी।

सुभाषनगर से सुबह 11.30 बजे से शुरुआत- नए शेड्यूल के अनुसार सुभाष नगर स्टेशन से

पहली मेट्रो प्रतिदिन सुबह 11.30 बजे और एम्स स्टेशन से पहली मेट्रो दोपहर 12 बजे रवाना होगी। सोमवार से शनिवार तक मेट्रो सेवा सुबह 11.30 से शाम 7.30 बजे तक संचालित होगी। इस दौरान सुभाष नगर स्टेशन से अंतिम मेट्रो शाम 7 बजे और एम्स स्टेशन से अंतिम मेट्रो शाम 7.30 बजे रवाना होगी। इन दिनों कुल 62 फेरे (दोनों दिशाओं सहित) संचालित किए जाएंगे।

रविवार को यह शेड्यूल रहेगा- वहीं, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों में मेट्रो सेवा सुबह 11.30 से रात 8.30 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इन दिनों सुभाष नगर स्टेशन से अंतिम मेट्रो रात 8 बजे और एम्स स्टेशन से अंतिम मेट्रो रात 8.30 बजे रवाना होगी। रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश पर कुल 70 फेरे (दोनों दिशाओं सहित) संचालित किए जाएंगे।

तिरंगा रैली से भोपाल पुलिस ने दिया राष्ट्रप्रेम का संदेश

पुलिस अधिकारियों और जवानों ने लगाए देशभक्ति के नारे, 'हर घर तिरंगा' का दिया संदेश

भोपाल (नप्र)। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की ओर से तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार, एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला और एडिशनल कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने कमिश्नर कार्यालय परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगे से सजे वाहनों के साथ पुलिस अधिकारियों और जवानों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया। रैली में शामिल पुलिसकर्मियों ने नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों में तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना रखने का संदेश दिया। रैली के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों से गुजरते हुए पुलिसकर्मियों ने लोगों को 'हर घर तिरंगा' अभियान के प्रति जागरूक किया।

कमिश्नर कार्यालय से शुरू हुई रैली- तिरंगा वाहन रैली कमिश्नर कार्यालय से शुरू होकर कंट्रोल रूम तिराहा, जेल रोड, एमपी नगर थाना तिराहा, शौर्य स्मारक, व्यापम चौराहा, लिंक रोड नंबर-1, अपैक्स बैंक तिराहा और रोशनपुरा चौराहा होते हुए बाणगंगा पहुंची। इसके बाद

रैली पॉलीटेक्निक चौराहा, रेतघाट, वीआईपी रोड और करबला होते हुए लालघाटी चौराहा पहुंची।

लालघाटी से लौटी रैली- लालघाटी से रैली वापस वीआईपी रोड, रेतघाट, कमला पार्क और लोक भवन होते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पूरे मार्ग में तिरंगे से सजे पुलिस वाहनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का अवसर है।

भोपाल में ई-वेस्ट के निपटारे पर एनजीटी में सुनवाई

शिकायत में कहा-इससे जनस्वास्थ्य को खतरा; 31 अगस्त को सुनेंगे मामला

भोपाल (नप्र)। नेशनल ग्रीन ट्रूब्नल (एनजीटी) ने राजधानी भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-वेस्ट) के कथित अवैज्ञानिक निस्तारण एवं अनौपचारिक प्रसंस्करण से पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान से संबंधित शिकायत पर सुनवाई की। शिकायत में कहा गया कि इससे जनस्वास्थ्य को खतरा है। अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी, न्यायिक सदस्य डॉ. ए. सेंथिल वेल ने की। भोपाल के पर्यावरणविद् नितिन सक्सेना ने 6 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में एनजीटी ने एक पुराने मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप अधिकरण के स्वतः संज्ञान संबंधी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए किया।

शिकायत में यह कहा- शिकायत में आरोप लगाया गया कि भोपाल में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में ई-वेस्ट उत्पन्न होता है। जिसमें से केवल सीमित मात्रा का ही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण एवं निस्तारण किया जा रहा है। शेष ई-वेस्ट के अनधिकृत कबाड़ कारोबारियों और अनौपचारिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के माध्यम से निस्तारण/प्रसंस्करण किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को खुले में जलाने अथवा अवैज्ञानिक तरीके से तोड़ने से सीसा, पारा, कैडमियम और क्रोमियम जैसी हानिकारक धातुओं एवं पदार्थों का उत्सर्जन हो सकता है। इससे वायु, मिट्टी, भू-जल प्रभावित होने और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

वायु गुणवत्ता में गिरावट भी हो रही- आवेदक सक्सेना ने वायु गुणवत्ता में गिरावट, मिट्टी एवं भूजल प्रदूषण, संभावित स्वास्थ्य प्रभावों, अनधिकृत ई-वेस्ट प्रसंस्करण इकाइयों और भोपाल में स्थापित ई-वेस्ट क्लिनिक के वर्तमान में प्रभावी रूप से संचालित नहीं होने सहित कई मुद्दे अधिकरण के समक्ष उठाए। साथ ही उच्च स्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित करने, अनधिकृत ई-वेस्ट प्रसंस्करण इकाइयों की पहचान कर कार्रवाई करने, ई-वेस्ट क्लिनिक को पुनः प्रभावी रूप से संचालित करने, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन एवं वसूली करने, संग्रहण केंद्र एवं अधिकृत री-साइक्लरों की व्यवस्था करने, जनजागरूकता अभियान चलाने की भी मांग की।

तकनीकी समस्या के कारण अगली सुनवाई के लिए स्थगन- एनजीटी की सुनवाई के दौरान आवेदक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए, लेकिन उनकी ओर से तकनीकी ऑडियो समस्या के कारण पीठ उनसे संवाद नहीं कर सकी। इस वजह से अगली सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई।

भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ में होगी सुनवाई- एनजीटी की नई दिल्ली बैंच ने माना कि मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकारी एनजीटी की केंद्रीय क्षेत्रीय पीठ भोपाल के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए वहां पर इसे सूचीबद्ध करने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को भोपाल बैंच में ही होगी।

संपादकीय

तमिलनाडु और कर्नाटक : फिर टकराव

तमिलनाडु और कर्नाटक पड़ोसी राज्य होने के बाद दोनों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर टकराव जारी रहता है और यह अक्सर राजनीतिक रूप ले लेता है। फिर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। इसी श्रृंखला में ताजा मामला कर्नाटक के जंगलों में वन कर्मियों और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ है। इस हिंसक मुठभेड़ में तीन लोगों की मौत हो गई। इस गंभीर घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दावा किया कि मृतक तमिल थे और घटना की गहन जांच की जानी चाहिए। वहीं, कर्नाटक सरकार ने इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और परिवारों को मुआवजा देने की बात कही है। गौरतलब है कि कर्नाटक के चामराजनगर जिले में शनिवार को वनकर्मियों को सूचना मिली थी कि संदिग्ध शिकारी कथित तौर पर वन्यजीवों का शिकार करने के इरादे से जंगल में दाखिल हुए हैं। इस सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे तो संदिग्ध शिकारियों ने वनकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में वनकर्मियों ने भी गोलियां चलाईं। इस मुठभेड़ में तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान एंटनी स्वामी, जॉन रोज़ पीटर और कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने मौके से बंदूकों के अलावा कुछ दस्तावेज और अन्य सामान भी जब्त किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुताबिक, संदिग्ध शिकारियों के पास से जंगली जानवरों के मांस से भरे दो बैग भी बरामद किए गए हैं। तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मौत की परिस्थितियों को लेकर जरूरी तथ्य सामने आ सकें। उधर तमिलनाडु के सीएम विजय ने कहा कि 'एंटनी स्वामी, जॉन रोज पीटर और कुमार जो कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के गांवों में रहने वाले तमिल थे को 15 अगस्त, 2026 की सुबह कावेरी वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों ने गोली मारकर मार डाला। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।' उन्होंने कर्नाटक वन विभाग की ओर से दी गई सफाई को 'अस्वीकार्य' बताते हुए मामले की गहन जांच की मांग की। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर किन परिस्थितियों में तीनों लोगों की जान गई। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें मुठभेड़ की जानकारी शनिवार सुबह करीब 5 बजे मिली। शिवकुमार के मुताबिक, मौके से शिकारियों की बंदूकें और जंगली जानवरों के मांस से भरे दो बैग बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में एक व्यक्ति भाग निकला...। शिवकुमार के मुताबिक उन्होंने हमारे वनकर्मियों पर गोली चलाई थी, जो वहां मौजूद थे।' मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच राज्य में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अशोक ने इस घटना को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कमिश्नर पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करती है। इस मामले से बड़ा सवाल यह है कि जंगल में हुई इस कथित मुठभेड़ में गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई और क्या वन कर्मियों की कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी। एक ओर वन विभाग और सरकार इसे संदिग्ध शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विजय और विपक्ष ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। खास बात यह भी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में भी टीवीके की सरकार में कांग्रेस शमिल है। बावजूद इसके दोनों सरकारों में तल्खी में कहीं कोई कमी नहीं है।

नजरिया

कुमार कृष्णन

लेखक स्तंभकार हैं।

प्राकृतिक संपदा को मानव संपदा में बदलने की चुनौती

एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 संसद से पारित हो गया। सरकार के लिए यह खनिज क्षेत्र में सुधार, निवेश को प्रोत्साहन, कानूनी अनिश्चितता की समाप्ति और खनन की लागत को तर्कसंगत बनाने का कानून है। उसका कहना है कि राज्यों की अलग-अलग लेवी, कर और उपकर से खनन क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा होती है और इसका असर निवेश तथा अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है। तर्क सुनने में ठीक है। मगर लोकतंत्र में किसी कानून का अर्थ केवल सरकार की व्याख्या से तय नहीं होता। यह भी देखना पड़ता है कि कानून के बाद अधिकार किसके पास जाते हैं, संसाधन पर किसकी पकड़ मजबूत होती है और लाभ का भूगोल किस दिशा में बदलता है।

खनिज जमीन के नीचे होता है, लेकिन उसका राजनीतिक अर्थ जमीन के ऊपर तय होता है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या कोई दूसरा खनिज केवल बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। उसके साथ जमीन है, जंगल है, पानी है, आदिवासी समाज है, विस्थापन है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इसलिए खनिज नीति को केवल उत्पादन, निवेश और कंपनियों की लागत के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता।

झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस राज्य की धरती देश के औद्योगिक विकास को कोयला और लौह अयस्क देती है, उसी राज्य का युवा नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सड़क पर है। जमीन के नीचे देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी खनिज हैं और उसी जमीन के ऊपर रोजगार की तलाश में भटकता युवा। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी?

झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के खनिज मानचित्र में महत्वपूर्ण हैं। दशकों से इनकी धरती से निकला कच्चा माल देश के दूसरे हिस्सों के उद्योगों को गति देता रहा है। बिजली बनती है, इस्पात बनता है, कारखाने चलते हैं, शहर बढ़ते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आगे जाती है। लेकिन खनिज-स्रोत क्षेत्रों से पूछिए कि इस विकास का स्थानीय हिसाब क्या है।

कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिला? कितने उद्योग खनिज के साथ वहीं लगे? कितनी प्रसंस्करण इकाइयां बनीं? कितने स्थानीय उद्यम खड़े हुए? विस्थापित परिवारों का जीवन कितना सुधरा? और क्या खनिज-संपदा ने वहां के युवा को इतना सक्षम बनाया कि उसे रोजगार के लिए अपने घर से बाहर जाने की जरूरत न पड़े?

यदि इन प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं है तो केवल उत्पादन बढ़ने को विकास कहना अपने आप को धोखा देना है।

भारत में लंबे समय से एक आर्थिक प्रवृत्ति दिखाई देती है–कच्चा माल एक जगह से जाता है और उसका अधिक मूल्यवर्धन दूसरी जगह होता है। संसाधन-स्रोत प्रदेश को खनन से जुड़ी गतिविधियां, कुछ रोजगार और राजस्व मिलता है; दूसरी ओर उसे विस्थापन, पर्यावरणीय दबाव और सामाजिक बदलाव की कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों की भूमिका कच्चा माल और श्रम उपलब्ध कराने तक सीमित होती जा रही है?

बिहार की स्थिति अलग है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा वही है। उसके पास झारखंड जैसी खनिज संपदा नहीं, लेकिन विशाल श्रमशक्ति है। स्थानीय रोजगार पर्याप्त नहीं है, इसलिए युवा दूसरे राज्यों की ओर जाता है। कोई निर्माण मजदूर बनता है, कोई कारखाने में काम करता है, कोई सुरक्षा गार्ड बनता है, कोई चालक। राज्य की सबसे बड़ी संपदा–उसकी युवा आबादी–दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती है।

झारखंड खनिज देता है, बिहार श्रम देता है। सवाल है कि दोनों अपने संसाधनों का पूरा आर्थिक मूल्य क्यों नहीं हासिल कर पाते?

यही प्रश्न बेरोजगारी तक पहुंचाता है। आज का युवा पढ़ रहा है, वर्षों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लाखों आवेदन होते हैं और नियुक्तियां सीमित रहती हैं। उम्र निकलती जाती है। ऊपर से परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठें, धांधली या अनियमितता के आरोप लगें, परिणाम और नियुक्ति में देरी हो तो युवा का भरोसा टूटना स्वाभाविक है।

फिर उसी युवा से कहा जाता है–नौकरी मत मांगो, उद्यमी बनो। उद्यमिता भाषण से नहीं पैदा होती। उसके लिए पूंजी, बाजार, बिजली, भूमि, तकनीक, कौशल और प्रशासनिक भरोसा चाहिए। जिस राज्य में छोटा उद्योग लगाने वाला व्यक्ति वित्त, बाजार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच फंसा रहे, वहां युवाओं से उद्यमी बनने की अपेक्षा अधूरी नीति है।

नौकरी नहीं, उद्यम नहीं, तो पलायन। यही वह त्रिकोण है जिसमें बिहार और झारखंड का युवा फंसा हुआ है।

इसलिए झारखंड के छात्र आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानना भूल होगी। छात्र पूछ रहा है–पढ़ाई के बाद क्या होगा? परीक्षा निष्पक्ष होगी? नियुक्ति कब होगी? नौकरी मिलेगी या उम्र निकल जाएगी? और अगर नौकरी नहीं मिली तो अपने ही राज्य में मेरे लिए क्या अवसर है?

इन सवालों का उत्तर लाठी या मुकदमे से नहीं दिया जा सकता। युवा आंदोलन लोकतंत्र का तापमान बताता है।

इसके पीछे किसके हित हैं, यह जांच और समय बताएगा। मगर यह सवाल पूछना जायज है कि जब एक राज्य का युवा रोजगार के लिए सड़क पर है, उसी समय उसी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों में बड़ा बदलाव हो रहा है, तो क्या दोनों प्रश्नों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए?

क्यों खनिज-संपदा का अधिक मूल्यवर्धन उसी राज्य में न हो जहां से वह निकलता है? खनिज के साथ उद्योग क्यों न आए? उद्योग के साथ कौशल और स्थानीय रोजगार क्यों न आए? यदि कोयला झारखंड से निकलता है तो झारखंड का युवा केवल खदान के आसपास का मजदूर क्यों बने? यदि लौह अयस्क ओडिशा से निकलता है तो उससे बनने वाली औद्योगिक श्रृंखला में स्थानीय युवाओं की भागीदारी क्यों सीमित रहे? यहीं एमएमडीआर संशोधन का संघीय प्रश्न सामने आता है। सरकार खनिज क्षेत्र में एकरूपता चाहती है। उद्योग के लिए स्पष्ट नियम जरूरी भी हैं। लेकिन एकरूपता का अर्थ केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। भारत का संघवाद केवल अधिकारों का संवैधानिक बंटवारा नहीं, बल्कि संसाधनों और जिम्मेदारियों का संतुलन भी है। यदि खनिज राज्य की जमीन से निकलता है, पर्यावरणीय दबाव राज्य झेलता है, विस्थापन स्थानीय समाज सहता है और बुनियादी ढांचे पर दबाव राज्य सरकार उठाती है, तो राज्य की वित्तीय और नीतिगत क्षमता को कितना सीमित किया जा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों की कराधान शक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था। अब संसद का नया कानून उस संवैधानिक और वित्तीय स्थिति को नए सिरे से प्रभावित कर रहा है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून की अंतिम कसौटी संविधान है। इसलिए यह बहस केवल राजनीतिक नहीं, संवैधानिक भी है।

यह सवाल भाजपा या किसी एक सरकार के लिए ही नहीं है। आज सत्ता में एक दल है, कल दूसरा होगा। यदि व्यवस्था में केंद्रीकरण बढ़ता है तो उसका इस्तेमाल कोई भी सरकार कर सकती है। इसलिए सवाल दलगत कम और संघीय ज्यादा है।

केंद्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत केंद्र का अर्थ कमजोर राज्य नहीं हो सकता। राष्ट्रीय खनिज नीति होनी चाहिए, लेकिन स्थानीय समाज की कीमत पर नहीं। निवेश आना चाहिए, लेकिन स्थानीय रोजगार के बिना नहीं। खनिज उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन खनिज-स्रोत क्षेत्रों की गरीबी बढ़ाकर नहीं।

गांधी का विकास-विचार यहां फिर याद आता है। वे विकास के विरोधी नहीं थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था के विरोधी थे जिसमें साधन मनुष्य से बड़े हो जाएं। ग्राम स्वराज का अर्थ स्थानीय समाज को अपने जीवन और संसाधनों पर सार्थक अधिकार देना था। सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी अधिकार आंदोलनों की लंबी परंपरा भी यही पूछती रही है–विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर?

भारत के विकास की एक असुविधाजनक सच्चाई यह है कि कुछ राज्य पूंजी और उद्योग के केंद्र बनते गए और कुछ कच्चे माल या श्रम के स्रोत। यदि यह अंतर बढ़ता रहा तो राष्ट्रीय विकास के आंकड़े चाहे जितने सुंदर दिखें, संघीय असमानता बनी रहेगी।

भारत माता की जय कहना आसान है। लेकिन भारत माता की धरती से निकली संपदा का न्यायपूर्ण हिस्सा उसके बच्चों तक पहुंचाना कठिन काम है। भारत माता वह आदिवासी भी है जिसका जंगल छूटता है, वह किसान भी है जिसकी जमीन जाती है, वह खनिक भी है जो जोखिम में काम करता है, वह छात्र भी है जो वर्षों परीक्षा की तैयारी करता है और वह मजदूर भी है जो हजार किलोमीटर दूर जाकर काम करता है।

इसलिए देशभक्ति केवल नारा नहीं है। देशभक्ति यह पूछने का साहस भी है कि देश के संसाधनों से देश के नागरिकों का जीवन कितना बदला।

एमएमडीआर संशोधन की असली परीक्षा खनन उत्पादन के आंकड़ों से नहीं होगी। परीक्षा इस बात की होगी कि खनिज-संपदा वाले राज्यों की आर्थिक क्षमता कितनी बची, स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी और युवाओं के लिए कितने अवसर बने।

वरना डर यही है कि खदानें बढ़ती रहेंगी और युवा घटते जाएंगे।

धरती के नीचे से कोयला निकलता रहेगा, लौह अयस्क निकलता रहेगा, खनिज निकलते रहेंगे। लेकिन धरती के ऊपर से युवा रोजगार की तलाश में निकलते रहेंगे।

तब सवाल फिर वहीं लौटेगा–खनिज किसका है? समृद्धि किसकी है? विकास किसका है? और उस विकास में उस युवा का हिस्सा कितना है, जो पढ़-लिखकर भी अपने घर में रोजगार नहीं पा रहा?

प्राकृतिक संपदा को मानव संपदा में बदलना ही विकास की असली कसौटी है।

बीज अधिकार पर बहस

'चिप्स' के चक्कर में फंसा किसान

राजकुमार सिन्हा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

एक जमाने में जो किसान बोनी, बखरनी और चैत जैसे कामों भर से खेती कर लिया करते थे, आज उन्हें पेचीदे कृषि कानूनों की भारी-भरकम किताबों का सहारा लेना पड़ रहा है। वजह है, खेती-किसानी में बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट कंपनियों का प्रवेश। मसलन, हाल में किसानों के बीज पर आलू-चिप्स बनाकर भारी मुनाफा कूटने वाली कंपनी 'पेप्सिको' की नजर लगी है। उसने अपने धंधे के लिए आलू के विशेष बीज को कानूनी रूप से अपने कब्जे में करवा लिया है। कैसे निपटेंगे, इस गोरखधंधे से किसान? क्या हैं, इसकी पेचीदगियों? बता रहे हैं, राजकुमार सिन्हा।

'पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स' और किसान अधिकार कार्यकर्ता कविता कुरुगंती के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीमकोर्ट के हालिया फैसले ने भारत में किसानों के बीज के अधिकार और पौध की किस्मों पर कॉरपोरेट अधिकार के बीच जारी बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। यह मामला केवल 'पेप्सिको' और कुछ आलू किसानों के बीच कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की कृषि व्यवस्था से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है कि बीज पर अंतिम अधिकार किसका है? उस किसान का जिसने पीढ़ियों से बीज को बचाया, बोया और विकसित किया है या उस कंपनी का जिसने किसी विशेष पौध की किस्म का पंजीकरण कराया है?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने 'पेप्सिको' की आलू की किस्म का पंजीकरण रद्द करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि 'पेप्सिको' द्वारा किसी किसान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर संबंधित किसान 'पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' के तहत अपने अधिकारों का दावा कर सकता है, बशर्ते किसान साबित कर सके कि वह उस प्रावधान के दायरे में आता है।

यहीं से कविता कुरुगंती की आपत्ति का महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। उनका तर्क है कि कानून ने किसानों को अधिकार तो दिए हैं, लेकिन जब कोई कॉरपोरेट कंपनी किसानों पर मुकदमा करती है, तब किसानों को ही अदालत के सामने यह साबित करना होता है कि वे इन अधिकारों के पात्र हैं। यदि किसानों के खिलाफ मुकदमेबाजी का इस्तेमाल प्रतिस्पर्धियों को नियंत्रित करने या किसानों पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, तो इसे केवल निजी कानूनी विवाद के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक जनहित के सवाल के रूप में देखा जाना चाहिए।

यह मामला 'पेप्सिको' द्वारा आलू की एक विशेष किस्म के पंजीकरण से जुड़ा है। इस किस्म का इस्तेमाल 'लेज' चिप्स के उत्पादन के लिए किया जाता है। 'पेप्सिको' ने इस किस्म का पंजीकरण 2016 में कराया था। इसके बाद वर्ष 2018 और 2019 में कंपनी ने गुजरात के कम-से-कम नौ किसानों के खिलाफ कथित बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमे दायर किए थे और किसानों से भारी-भरकम क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

व्यापक विरोध के बाद 'पेप्सिको' ने मई 2019 में ये मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि यदि किसी किसान के खेत में संरक्षित किस्म पाई जाती है, तो उसके पारंपरिक खेती और बीज संबंधी अधिकारों की कानूनी स्थिति क्या होगी? कविता कुरुगंती ने इस पूरे प्रकरण को केवल किसानों के खिलाफ दायर मुकदमों के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे किसानों के वैधानिक अधिकारों और कॉरपोरेट बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच टकराव के रूप में उठाया और 'पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' के तहत 'पेप्सिको' के पंजीकरण को रद्द करने की मांग की।

दिसंबर 2021 में 'पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' ने 'पेप्सिको' के पंजीकरण को रद्द कर दिया। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। एकल न्यायाधीश ने जुलाई 2023 में प्राधिकरण के निर्णय को कुछ आधारों पर बरकरार रखा, लेकिन जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस निर्णय को पलट दिया और 'पेप्सिको' का पंजीकरण बहाल हो गया। इसके बाद कविता कुरुगंती ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसके हालिया फैसले ने अब इस विवाद को एक नए कानूनी और सामाजिक संदर्भ में खड़ा कर दिया है।

'पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001' भारत के महत्वपूर्ण कृषि कानूनों में से एक है। इसका उद्देश्य नई किस्मों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने वाले प्रजनकों को प्रोत्साहित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा किसानों के पारंपरिक बीज बचाने, उपयोग करने और खेती करने के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। इस कानून के तहत संरक्षित किस्मों के उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात और निर्यात पर (खासतौर पर कंपनियों को) विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरी ओर, इसी कानून में किसानों को अपनी उपज और बीज को सहेजने, उपयोग करने, बोने, दोबारा बोने, आदान-प्रदान करने, साझा करने या बेचने का कानूनी अधिकार है। इस कानून का संचालन 'पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' द्वारा किया जाता है, जो 'केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय' के अधीन है।

सुप्रीमकोर्ट के ताजा फैसले से किसान संगठनों और बीज अधिकार आंदोलनों की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। अब संघर्ष का केंद्र किसान के व्यक्तिगत अधिकारों को जमीन पर लागू कराने और कानून की स्पष्ट व्याख्या कराने पर आ सकता है। किसान को यह समझना जरूरी है कि संरक्षित किस्म के संबंध में उसके पास कौन-कौन से अधिकार हैं और किन परिस्थितियों में ये अधिकार लागू होते हैं। कानून की जानकारी केवल वकीलों या विशेषज्ञों तक सीमित रहने से किसान अपने अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए किसान संगठनों को गांव स्तर तक बीज अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी।

भारत में बीजों पर नियंत्रण का सवाल आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण होने वाला है। कृषि में जैव-प्रौद्योगिकी, संकर बीज, नई पौध किस्मों और कॉरपोरेट निवेश का विस्तार हो रहा है। ऐसे में किसान समुदाय की पारंपरिक बीज प्रणालियां और स्थानीय जैव-विविधता भी दबाव में हैं। किसान के सामने चुनौती है कि उसके अधिकारों को केवल कानून की किताब में दर्ज प्रावधान न रहने दिया जाए, बल्कि खेत और गांव के स्तर पर उसका वास्तविक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए।

'पेप्सिको'-किसान विवाद का अगला अध्याय शायद सुप्रीमकोर्ट में नहीं, बल्कि खेतों, किसान संगठनों, कानूनी सहायता समूहों और संसद के भीतर लिखा जाएगा। आने वाले समय में असली कसौटी यही होगी कि भारत का किसान अपने वैधानिक बीज अधिकारों का इस्तेमाल कितनी स्वतंत्रता से कर पाता है और राज्य इन अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी प्रभावी व्यवस्था बनाता है। सुप्रीमकोर्ट का फैसला भले ही 'पेप्सिको' की पंजीकृत किस्म के संबंध में तत्काल विवाद को एक सीमा तक स्पष्ट करता हो, लेकिन किसान के बीज अधिकार और कॉरपोरेट बौद्धिक संपदा अधिकार के बीच व्यापक बहस अभी समाप्त नहीं हुई है।

असली सवाल यह है कि भारत की कृषि व्यवस्था में किसान की स्वतंत्रता और बीज पर उसका अधिकार कितना सुरक्षित रहेगा। यदि किसान का अधिकार सुरक्षित रहता है, तो यह केवल किसान की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, कृषि जैव-विविधता और आने वाली पीढ़ियों की कृषि स्वतंत्रता की भी रक्षा होगी। यही कारण है कि 'पेप्सिको' और कविता कुरुगंती का विवाद एक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट विवाद से कहीं आगे भारत में बीज संप्रभुता और किसान अधिकारों की दिशा तय करने वाली बहस बन चुका है। (सप्रेस)

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कटाक्ष

सुदर्शन सोनी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

छुट्टी का स्वतंत्रता संग्राम

देश ने क्रूर अंग्रेजी राज से स्वतंत्रता पाने के लिए लंबा संघर्ष किया। बहुतों ने लाठियाँ खाईं, जेल काटी, गोलियाँ खाईं और कई हंसते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आजादी मिली तो देश ने राहत की साँस ली। लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। एक नया संघर्ष शुरू हुआ–छुट्टी का संघर्ष। पहले लोग पूछते थे–'देश कब आजाद होगा?' अब पूछते हैं–'पंद्रह अगस्त किस दिन पड़ रहा है?' देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन छुट्टी का गणित उससे भी महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे ही कैलेंडर में राष्ट्रीय पर्व दिखाई देता है, कर्मचारी की चमकती आँखों में तिरंगे से पहले सप्ताहांत दिखाई देने लगता है।

देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, हम छुट्टी के मामले में कैलेंडर से आजाद होना चाहते हैं। पंद्रह अगस्त शनिवार को पड़ जाए तो मन बुझ जाता है। रविवार को पड़ जाए तो लगता है स्वतंत्रता दिवस ने निजी छुट्टी का भी अधिकार छीन लिया। सोमवार को पड़ जाए तो चेहरे पर ऐसी चमक आती है जैसे देश ने दूसरी बार स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। कि मौज का प्लान कैसे बनाया जाए। यदि कोई सहकर्मी ताड़ कर कहे कि क्या झंडारोहण में नही आओगे तो कुटिल मुस्कान से कहना अरे यार मेरे नही आने से क्या झंडारोहण मे कोई फर्क पड़ जाएगा। इसे ही कहते हैं आधुनिक स्वतंत्रता। गिने चुने कर्मचारी पंद्रह अगस्त की व्यवस्था जैसे झंडे, रस्सी, मिठाई, आदि में लग जाते हैं पर बहुसंख्य सप्ताहांत की छुट्टियों का कैसे मजा लिया जाए की योजना बनाने में शिददत से लग जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व बाद में आता है, यात्रा योजना पहले बन जाती है। अखबार भी छुटटी स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में आहुति एक केलेंडर बना कर देते हैं कि बस एक दिन आगे और एक दिन पीछे की सीएल लेकर आप सात दिन की यात्रा पर प्रस्थान कर सकते हैं।बड़ों की स्थिति भी अलग नहीं। सरकारी कार्यालय में ध्वजारोहण होगा। अधिकारी भाषण देंगे। राष्ट्रगान होगा। स्वल्पाहार होगा, फोटो खिंचेगी। फिर सब अपने-अपने घर। दोपहर तक संदेश आने लगेंगे–ज्आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। 'एक ही संदेश सौ लोगों को भेज दिया जाएगा। जिस देश ने स्वतंत्रता के लिए वर्षों लगाए, उसकी शुभकामना हम पाँच सेकंड में पूरी कर देते हैं। कुछ फारवर्ड वीरों को एक रात पहले देशभक्ति का जुनून चढ़ जाता है वे पन्द्रह अगस्त का इंतजार नही कर पाते पहले से ही बधाई, शुभकामनाओं के संदेशों की बौछार कर देते हैं।कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यदि स्कूलों में लडडू वितरण व सांस्कृतिक कार्यक्रम न हों तो संख्या बल बहुत कम रह जाएगा। वहां अभिभावक वही दृश्यमान होते हैं जिनके बच्चों की किसी कार्यक्रम में भागीदारी हो बाकी स्वतंत्रता को एन्ज्वाय करने घर में ही रहते हैं।'

अब सामाजिक माध्यम ने स्वतंत्रता दिवस को और आसान बना दिया है। तिरंगे की तस्वीर लगाइए, दो देशभक्ति की पंक्तियाँ लिखिए और मान लीजिए कि आज का राष्ट्रधर्म पूरा हो गया। कुछ लोग उस दिन इतने देशभक्त हो जाते हैं कि लगता है अगले दिन से देश को चलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की।

लेकिन स्वतंत्रता दिवस का अर्थ इससे बड़ा है।यह वह दिन है जब हमें हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होने अपनी जवानी अपना सर्वस्व हमारे सुनहरे भविष्य के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी कुर्बानी का सबसे बड़ा परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ छुट्टी का कैलेंडर देखकर देशभक्ति का तापमान नापेंगी ! गंगाधर कहता है–'भाई, छुट्टी मनाओ, खूब मनाओ। स्वतंत्रता मिली है तो उसका आनंद भी लो। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि स्वतंत्रता छुट्टी का दूसरा नाम नहीं है।'

पर कर्मचारी छुट्टी मनाकर लौटते ही कैलेंडर की ओर पुनः इस नीयत से झांकने लगता है कि अगले लाल व नीले गोले कहां पर हैं ताकि वह आगामी योजना का खाका अभी से खींचना शुरू कर दे।

राजनीति

डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार

पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता के मायने?

सरकार ने विस्थापितों को नागरिकता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दी है। जिले का नाम है पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है जिसकी पहचान बांसुरी निर्माण के अलावा तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जैव-विविधता के अलावा विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व तो है ही, धान की पैदावार के लिए भी जिला पूरे प्रदेश में विख्यात है। सरकार ने जिन परिवारों को बसाने का फैसला किया है उनमें बंगाली हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। भारत के नक्शे में देखें, तो पीलीभीत हिंदुस्तान के एक अलहदे छोर पर बसा है जहां करीब पांच दशक से भी ज्यादा पहले पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग बस गए थे। तभी, से वह विभिन्न सरकारों से नागरिकता मांगते आए हैं।

किसी पाकिस्तानी को आज के दौर में हिंदुस्तान में बसाना, उन्हें पनाह देना या फिर नागरिकता देनी वाली बात, शायद ही किसी के गले उतरे? बसाना तो दूर, ऐसा सोचना मात्र भी, सूरज का पूरब की जगह पश्चिम से निकलने जैसा माना जाएगा। पर, यह कोरी कल्पना पिछले दिनों हकीकत में तब्दील हुई। भारत में 56 साल पहले आए पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई है। वह भी एकाध लोगों को नहीं, बल्कि हजारों को। सरकार ने पिछले महीने बकायदा एक रंगारंग कार्यक्रम कर, ढोल-नगाड़े बजाकर विस्थापित पाकिस्तानियों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे। ताज्जुब यह भी है कि ऐसा चमत्कार हुकूमत ने ऐसे माहौल में किया, जब समूचे भारत में विभिन्न देशों के घुसपैठियों को निकालकर उन्हें खदेड़ने का अभियान केंद्रीय व राज्य स्तरों पर छिड़ा हो। इस अभियान की बानगी हमने हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा। जब दो बॉर्डर राज्य, असम और पश्चिम बंगाल, का चुनाव इसी मसले के इर्दगिर्द घूमा। घुसपैठियों के अलावा भारत में कुछ वर्षों से एनआरसी और सीएए का भी शोर है। बावजूद इसके सरकार ने पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का बड़ा जाखिम उठाया। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? हालांकि, इस फैसले के सियासी मायने बहुतेरे हैं, जिसकी तस्वीर आने वाले दिनों में दिखाई भी देगी।

सरकार ने विस्थापितों को नागरिकता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दी है। जिले का नाम है पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है जिसकी पहचान बांसुरी निर्माण के अलावा तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जैव-विविधता के अलावा विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व तो है ही, धान की पैदावार के लिए भी जिला पूरे प्रदेश में विख्यात है। सरकार ने जिन परिवारों को बसाने का फैसला किया है उनमें बंगाली हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। भारत के नक्शे में देखें, तो पीलीभीत हिंदुस्तान के एक अलहदे छोर पर बसा है जहां करीब पांच दशक से भी ज्यादा पहले पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग बस गए थे। तभी, से वह विभिन्न सरकारों से नागरिकता मांगते आए हैं। सरकारी कागजों के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1959 से 1971 के बीच पाकिस्तान से पीड़ित होकर कुछेक परिवार भारत आए थे। शुरूआत में यह परिवार कई राज्यों में भटकते रहे, कहीं ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार उन्हें बाद में यही जिला मुफीद लगा। पीलीभीत के अलावा कुछ नागरिकता रामपुर और बिजनौर में बसे विस्थापितों को भी दी गई है।

पीलीभीत के जिस क्षेत्र में यह परिवार रहते आए हैं वह जगह कभी विरान होती थी। इन लोगों ने इसे रहने लायक बनाया और उबड़-खाबड़ जगहों पर मेहनत करके उसे खेतीबाड़ी के लिए तैयार किया। आज इस क्षेत्र में अच्छी फसलें उगती हैं। सभी के पास कागजी दस्तावेजों के रूप में भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि पहले से मौजूद हैं। साथ ही लंबे वक्त से मतदान भी करते आए हैं। लेकिन नागरिकता और मालिकाना हक से वंचित थे, जिसे मौजूदा योगी सरकार ने पूरा कर दिया। ये परिवार पीलीभीत जिले के अमरिया, न्यूरिया, शारदा डैम की तलहटी सहित आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं। सरकार ने उन्हें खेती और आवास के लिए जमीन तो पहले से दी हुई हैं। लेकिन मालिकाना हैसियत नहीं दी, जिसके लिए यह लोग दशकों जद्दोजहद कर रहे थे। प्रत्येक चुनावों में इनसे के झूठा आश्वासन हुआ। पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने भी इनको नागरिकता दिलवाने का दिलासा दिया। पर, कुछ राजनैतिक अड़चनों के चलते वादा पूरा नही कर पाए।

बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ वादा किया गया था, जिसे अब पूरा किया गया। प्रदेश सरकार की पहल पर सभी पीड़ित परिवारों को सूचीबद्ध करके नागरिकता और मालिकाना के प्रमाण बांटे गए हैं। नागरिकता करीब 2500 परिवारों को दी गई हैं जिनकी कुल संख्या 15 हजार के आसपार है। ऐसा करके सरकार ने शायद विपक्षी दलों को बड़ा सियासी मुद्दा बैठे-बिठाए थमा दिया है। ये लोग वर्ष 1960 से 1975 के बीच धार्मिक प्रताड़ना के चलते पूर्वी बंगालादेश जो अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, से भारत आए थे और उत्तर प्रदेश के तराई के जिले पीलीभीत में आकर बसे। ये क्षेत्र पीलीभीत जिले की कलीनगर व पूरनपुर तहसीलों में आते हैं जहां ये करीब 25-26 गांवों में बसे हैं। पिछले महीने 29 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में दौरा हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने इनको ना सिर्फ नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे, बल्कि मालिकाना हक के सरकारी कागज भी दिए।

यह फैसला चुनाव के ऐन वक्त लिया गया। प्रदेश में मात्र 6-7 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार के इस निर्णय पर प्रदेश की राजनीति जमकर गर्माई हुई है। विपक्षी पार्टियों ने सीधे-सीधे एक बड़े वोट बैंक को साधने का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाया है। पाकिस्तानी विस्थापियों को बसाने का यह पहला चरण है, अभी दूसरा चरण शेष है। 35 हजार लोग और हैं जो बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर, बिजनौर जैसे जिलों में बसे हैं। सभी को चिंहित किया जा चुका है, अगले कुछ महीनों बाद इन्हें भी मुकम्मल नागरिकता देने का फैसला हो चुका है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश के करीब सात-आठ जिलों में कुल 55 हजार विस्थापित पाकिस्तानियों की आबादी है, इनमें प्रत्येक वर्ष तेजी से इजाफा भी हो रहा है। 56 वर्ष पहले धार्मिक प्रताड़ना के रूप में मात्र 12 हजार 380 लोग आए थे। आबादी बढ़ाने के पीछे इनका मकसद था कि बढ़ी आबादी से सरकारों को वोटिंग का लालच देकर किसी भी दल पर दबाव बना सकेंगे। कमोबेश, हुआ भी वैसा ही। अपने योजनाओं में यह लोग आज सफल हुए हैं।

वक्रोक्ति

सीमा देवेन्द्र

स्वतंत्र लेखक

बरसात में विकास और विकास की बरसात

कह तो रहा था सावन को आने दो... और अब जाने भी वाला है। लेकिन देखो न... इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है।

जिधर देखो उधर खुदा ही खुदा है!

इसीलिए कह रहा होगा शायद सावन को आने दो। मैं तो कुछ और ही समझी थी लेकिन सच बताऊं ये बयाने हक़ीक़त है कि मेरे चारों ओर खुदा ही खुदा था।

सोचा था कि आज चार पहिए से उतर कर ज़रा मोक्षदायी धरा पर यूँ ही कुछ क़दम चला जाय। हसरत भरी निगाहों से उन गलियों को देखना चाहा उन रास्तों को देखना चाहा जहाँ सरपट दौड़े थे कभी, लेकिन नजारा कुछ और ही था। मानों देखते ही मुझे तो धरा कम और मोक्ष ज्यादा दिखाई देने लगा...मैंने अपने आपको मोक्ष के इतना करीब पहले कभी नही महसूस किया। और असर ये हुआ कि सिर चकराने लगा ...

इत्ते में दुबे भाभी घबराकर बोली जिज्जी जे का बेहोंसी क्यूँ आ रही है तुमको।

हम क्या बोलते...कवि ठहरे, बेहोंसी मेंई बात को कविता बना के टिकाई दी ।

नजारा एकदम बदला सा
जैसे सावन में पतझर सा
सारी गलियाँ उजड़ गई
वो राहें वो मंज़िल किधर गयीं ?
और सड़कों पर बस जाम ही जाम
न कोई ख़ास न कोई आम
केवल विकास का है नाम
और उसके नाम पे है ये जाम!
हे राम!

सुनते ही दुबे भाभी फिर बोली - जिज्जी येई बिकास हे।

लेकिन सब कुछ मेरी समझ से परे था।

फिर लगा शायद यही होगा विकास का आधार। दुबे भाभी सही बोल रही है। वो भला झूठ क्यों बोलने लगी। इतने साल से जो बोलती आ रही है। ख़ैर!

अब क्या कहा जाए इसे ..?

विकास के सपने या सपनों का विकास!

पता नहीं।

जो भी हो लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत। क्योंकि जाम और विकास जो बिल्कुल अलग अलग तासीर के हैं फिर ये घाल मेल कैसा?

थोड़ी देर में मैं बोली - भाभी क्या बग़ैर जाम के विकास संभव नही ?

मेरा मतलब है शहर में एक साथ काम न खोलकर, साइड बाय साइड कार्य होता रहे तो जनता को न तो खुदाई से रूबरू होना पड़ता और न ही अपनी डेस्टीनेशन की जुदाई से।

अब देखो न आज एकदम सभी जरूरी चीजें हमारी पहुँच से बाहर है। और यदि इन्हे हासिल करना हो तो पहले जाम से गुजरना होगा।

दुबे भाभी बोली जिज्जी होंस में आओ और देखो ई नजारा। इसमें तो टेम लगे है।

मैं बोली सही है भाभी इसमें अभी तो बहुत समय लगेगा।

विकास का तो अभी शैशवकाल समझो, गारे में लथपथ, धूल धूसरित ऊपर से बरसाती श्रृंगार....

मगर ये बात तो पक्की है भाभी लिख के रख लो...

देखना एक दिन ये ऐसा निखर के आएगा सामने कि यही लोग इसके साथ सेल्फी लेगें। फोटू खिंचायगें । एन्जॉय करेगें।

दुबे भाभी बोली - सच्ची...।

मैं बोली हां पर ये तो सेल्फी लेने वालों के भाग्य होगें।

नही तो आप मुझे बोलो कि मैंने दावा किया था...। और फिर ये विकास की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है क्योंकि उज्जैन की हवा भी जादुई होने के करण एतिहासिक भी है । तीन बरस पहले ही तेज हवा में कृत्रिम ऋषि मुनि बुरा मान गए थे फिर जैसे तैसे मनाया उनको कि ये विकास भी आपका ही इसे अपने स्नेह और आशीर्वाद से नवाजे, अपने बड़े काम का है। देश का भविष्य इसी पर है इसलिए इसकी फिटनेस का खास ख्याल रखा जाए। इसे आप अपनी दुआओं में बख्शें महाराज। आधुनिक भारत इसी पर निर्भर है। इसको अभी लम्बी पारी खेलना है।

फिर बड़ी मुश्किल से ऋषि मुनी मानें और उनको ससम्मान पुर्नस्थापित किया। और मैंने सवा रूपये का प्रसाद चढ़ाया जो अलग।

लेकिन इसके लिए हम हर बार समस्त कारीगर और कलाकारों को धन्यवाद देते हैं और मध्यप्रदेश सरकार का भी आभार मानते हैं । उज्जैन को पर्यटन स्थल बनाकर एवं महाकाल लोक का सौन्दर्यीकरण करके जनता को जो नई सौगात दी। उज्जैन की सीमाओं को विस्तार दिया। सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए भी उज्जैन की धर्म प्राण जनता प्रशासन के साथ है क्योंकि जब विकास निखर कर सामने आएगा तब ज्यादातर तो उज्जैन वाले ही उसे निहारेंगें। अभी भले वो नखरे दिखा रहा है।

लेकिन जागरूक रहें चौकन्ने रहें। विकास की खुशी में अपना मानसिक संतुलन न खोएं। बारीश में जल जमाव, खुले गढ्ढे सीमेंट मिट्टी की फिसलन दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

दुबे भाभी फिर बोल पड़ी- जिज्जी जे का उज्जैन मेंइ थोड़ी न हे। मैंने तो और भी कई जगह देखो है इसे।

हाँ भाभी ये तो उज्जैन के सन्दर्भ में ही है , और जगह का विकास अलग होगा जो वहां की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करता है। इसलिए उसके प्रति श्रद्धा भाव भी अलग ही होगा। क्योंकि यहाँ बरसात में विकास है और दूसरी जगह विकास की बरसात है।

आज़ादी की पहली दस्तक

सुनील कुमार गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

भोपाल में पहली सुबह, जब चुपके से लहराया तिरंगा

15 अगस्त की सुबह भोपाल में आज़ादी का सूरज तो उगा था, लेकिन उसकी रोशनी शहर के हर हिस्से तक नहीं पहुंची थी। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहरा चुका था। देश ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी पा ली थी, लेकिन भोपाल की कहानी कुछ अलग थी।

देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन भोपाल आजाद नहीं हुआ था। भोपाल रियासत की हुकूमत कायम थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान तत्काल भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भोपाल को अलग इकाई के रूप में बनाए रखने की इच्छा जताई थी। लिहाजा 15 अगस्त 1947 के बाद भी भोपाल रियासत भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनी। भोपाल का भारत में औपचारिक विलय करीब दो साल बाद, 1 जून 1949 को हुआ।

15 अगस्त 1947 को भोपाल खामोश नहीं था

लेकिन उस 15 अगस्त को भोपाल पूरी तरह खामोश भी नहीं था। पुराने शहर की गलियों में, जुमेराती की एक पुरानी डाकघर इमारत पर, कुछ लोगों ने वह कर दिखाया, जिसे उस समय सत्ता की नज़रों में चुनौती माना जा सकता था, उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। एक-दूसरे को लड्डू भी खिलाए।

आज जुमेराती की भीड़भरी गलियों में शायद कोई जल्दी में गुज़र जाए और उस पुरानी इमारत पर ध्यान भी न दे। मगर इस इमारत की दीवारों ने भोपाल के इतिहास का एक ऐसा क्षण देखा है, जिसे शहर की स्वतंत्रता की गाथा में विशेष स्थान मिलना चाहिए।

लेकिन स्थानीय इतिहासकारों और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को जुमेराती डाकघर पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, जिनमें अक्षय कुमार और रामचरण राय का नाम मिलता है, ने डाकघर के प्रभारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। नवाबी शासन की ओर से शहर में राजकीय ध्वज के अलावा किसी अन्य ध्वज को फहराने पर आपत्ति थी। तिरंगा अधिक देर तक वहां नहीं रह सका। पता चलते ही नवाव हमीदुल्ला के सैनिकों ने उसे उतार दिया।

लेकिन इतिहास में कुछ क्षण अपनी अवधि से नहीं, अपने अर्थ से बड़े हो जाते हैं। वह तिरंगा शायद कुछ ही देर के लिए उस इमारत पर रहा हो, लेकिन उसने भोपाल की जनता को एक संकेत दे दिया था कि देश आज़ाद हो चुका है और अब भोपाल की बारी है।

यही वजह है कि जुमेराती डाकघर को केवल एक पुरानी डाक इमारत की तरह देखना उसके इतिहास को छोटा कर देना होगा। वह उस समय संचार का केंद्र था और स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था। आज भी यह शहर की उन ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है, जिनके बारे में जानना भोपाल की आज़ादी की कहानी को समझने के लिए जरूरी है।

जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन भोपाल नहीं

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता समाप्त हुई, लेकिन देशी रियासतों के भारत में एकीकरण की प्रक्रिया अलग थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने 1948 में भोपाल को अलग इकाई के रूप में बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। इस कारण भारत की स्वतंत्रता और भोपाल के भारतीय संघ में विलय के बीच एक लंबा अंतराल पैदा हुआ। यह अंतर केवल संवैधानिक या प्रशासनिक नहीं था।

भोपाल की जनता के लिए यह सवाल धीरे-धीरे रोजमर्रा के जीवन का सवाल बनता गया कि जब भारत आज़ाद हो चुका है, तो भोपाल कब आज़ाद होगा? इसी सवाल ने आगे चलकर भोपाल विलीनीकरण आंदोलन को जन्म दिया। दिसंबर 1948 से आंदोलन तेज हुआ। भाई रतन कुमार गुप्ता, डॉ. शंकर दयाल शर्मा और अनेक स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भोपाल के भारत में विलय की मांग को जनआंदोलन का रूप दिया। डॉ. शंकर दयाल शर्मा, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, विलीनीकरण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं में शामिल थे।

जुमेराती की गलियों से उठी आवाज़

विलीनीकरण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र जुमेराती रहा। स्थानीय इतिहास-स्रोतों में रतन कुटी का उल्लेख आंदोलन की रणनीति और गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में मिलता है। आंदोलनकारियों ने प्रतिबंधों, गिरफ्तारियों और दमन के बावजूद अपनी गतिविधियां जारी रखीं। यह कहानी केवल कुछ बड़े नेताओं की नहीं थी। इसमें वे लोग भी थे जिनके नाम इतिहास की बड़ी किताबों में शायद बहुत कम दिखाई देते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता, व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएं जैसे-शांतिदेवी, रुकमणि देवी और मोहिनी देवी और सामान्य नागरिक।

आंदोलन बढ़ा तो दमन भी बढ़ा

गिरफ्तारियां हुईं। सभाओं पर रोक लगी। लाठीचार्ज हुआ। कई स्थानों पर पुलिस की गोलीबारी में आंदोलनकारियों की जान गई। बोरास की घटना, नवाब के सैनिकों की गोलियों से हुआ नरसंहार इसी संघर्ष की सबसे मार्मिक स्मृतियों में से एक है। उपलब्ध ऐतिहासिक और समकालीन स्रोतों में बोरास के शहीदों का उल्लेख भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मिलता है।

और इस संघर्ष में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उपलब्ध विवरण बताते हैं कि जब आंदोलन के अनेक पुरुष कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, तब महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध की कमान संभाली। इसलिए भोपाल की आज़ादी की कहानी को केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी कहना अधूरा होगा। यह साधारण नागरिकों के साहस और अपने भविष्य को तय करने के अधिकार की कहानी भी थी।

दिल्ली तक पहुंची भोपाल की आवाज़

भोपाल में बढ़ते आंदोलन ने अंततः दिल्ली का ध्यान खींचा। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही थी। भोपाल के मामले में वी.पी. मेनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 1949 में मेनन को भोपाल के साथ विलय समझौते को लेकर बातचीत के लिए भेजा गया। लगातार बढ़ते जनदबाव और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नवाब हमीदुल्लाह खान को अंततः विलय के लिए सहमत होना पड़ा।

और फिर आया वह दिन जिसका इंतजार भोपाल लगभग दो वर्षों से कर रहा था। 1 जून 1949 । उस दिन भोपाल राज्य का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और भोपाल भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। भोपाल जिला प्रशासन का आधिकारिक इतिहास भी 30 अप्रैल 1949 के समझौते और 1 जून 1949 को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन संभाले जाने की पुष्टि करता है। भोपाल के लिए यह केवल एक प्रशासनिक तारीख नहीं थी। यह उस स्वतंत्रता की पूर्णता थी, जिसकी पहली झलक उसके लोगों ने 15 अगस्त 1947 को देखी थी। अंततः जीत उस विचार की हुई कि किसी शहर, राज्य या रियासत का भविष्य केवल उसके शासक की इच्छा से नहीं, बल्कि उसके लोगों की आकांक्षा से तय होना चाहिए।

आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को देखते हैं, तो शायद ही हमारे मन में यह सवाल आता है कि कभी ऐसा भी समय था जब इसी झंडे को फहराना किसी शहर में सत्ता को खुली चुनौती देना था।

आज भी मौजूद है जुमेराती का पुराना डाकघर

शहर बदल गया। भोपाल की गलियां बदल गईं। डाक के तरीके बदल गए। वह दुनिया, जिसमें चिट्ठियाँ लोगों को दूर बैठे अपनों से जोड़ती थीं, अब डिजिटल संदेशों में बदल चुकी है। लेकिन उस इमारत की स्मृति में एक ऐसा दिन दर्ज है, जब एक तिरंगे ने भोपाल की खामोशी को तोड़ा था। शायद इसीलिए स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लिए तिरंगा केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं है। वह उन लोगों की याद भी है जिन्होंने उस समय तिरंगा उठाया, जब उसे उठाना आसान नहीं था। उन लोगों की, जिन्होंने जेल देखी। उन लोगों की, जिन्होंने लाठियां, गालियां और गोलियां सहीं। उन महिलाओं की, जिन्होंने पुरुषों की गिरफ्तारियों के बाद आंदोलन की मशाल संभाली। और उन अनगिनत नागरिकों की, जिनके नाम शायद इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हैं, लेकिन जिनकी आवाज़ ने भोपाल को भारत का हिस्सा बनाने में अपनी भूमिका निभाई।

एक शहर की आज़ादी को याद रखने का अर्थ

आज हम स्वतंत्र हैं। हमारे घरों पर तिरंगा सम्मान से फहरता है। स्कूलों, कार्यालयों और सड़कों पर राष्ट्रगान गूंजता है। बच्चे तिरंगे को हाथ में लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन भोपाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी केवल सत्ता के हस्तांतरण का नाम नहीं है। आज़ादी उस क्षण का नाम भी है, जब कोई साधारण नागरिक यह कहने का साहस करता है-मेरे भविष्य का फैसला मेरी इच्छा के बिना नहीं होगा। जुमेराती का वह डाकघर इसी साहस का साक्षी है। शायद इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर जब हम भोपाल में तिरंगा देखें, तो एक पल के लिए उस पुरानी इमारत को भी याद करें। उस सुबह को याद करें, जब देश आज़ाद था लेकिन भोपाल अभी प्रतीक्षा में था। और उस तिरंगे को याद करें, जो शायद कुछ देर के लिए ही सही, मगर नवाबी भोपाल के आसमान पर यह कहने के लिए लहराया था– 'भारत आज़ाद हो चुका है। अब भोपाल भी अपनी आज़ादी की राह पर है।' यही वह छोटी-सी, लगभग भुला दी गई घटना है, जिसने भोपाल की बड़ी कहानी में एक अमिट पंक्ति लिख दी। एक तिरंगा, एक डाकघर और एक शहर, जो अंततः भारत का हो गया।

आंदोलनों की शक्ति: स्वतंत्रता संग्राम से जेन जी तक

मुद्दा

अरुण कुमार डनायक
लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

भारत का स्वतंत्रता दिवस अन्याय के विरुद्ध लोकतांत्रिक और अहिंसक संघर्ष की निरंतर जिम्मेदारी का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता में अनेक धाराओं का योगदान रहा, पर गांधी के अहिंसक आंदोलनों ने जनसामान्य की ललक को व्यापक जनआंदोलन में बदल दिया। गांधी के नेतृत्व में असहयोग, दांडी मार्च, सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जनसहयोग से सफल रहे। भारत छोड़ो आंदोलन ने शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बावजूद स्वतंत्रता की निर्णायक चेतना जगाई और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।

भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की जड़ें भक्ति आंदोलन में हैं, जब कबीर, नानक और रैदास ने सामाजिक रूढ़ियों व भेदभाव के विरुद्ध जनचेतना जगाई। किन्तु आज़ादी के पहले हुए आंदोलनों ने भी जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष को दिशा दी। 1927 के महाड सत्याग्रह में डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने चवदार तालाब से पानी पीकर सार्वजनिक जलस्रोतों पर अधिकार जताया। महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत और मंदिर प्रवेश व शिक्षा के अधिकारों के प्रति चेतना जगाई। आजादी के बाद गांधी चाहते थे कि शासन समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज सुने और रचनात्मक कार्यक्रम को प्राथमिकता दे। संविधान ने नागरिकों को न्यायिक उपचार के साथ शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति का अधिकार भी दिया। लेकिन व्यवस्था की सीमाओं से आकांक्षाएँ पूरी न होने पर लोगों ने आंदोलनों का रुख किया। डॉ. राम मनोहर लोहिया के 'कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ' और 'अंग्रेजी हटाओ' जैसे आंदोलनों ने आजाद भारत में राजनीतिक आंदोलनों को नई धार दी।

राजनीतिक आंदोलनों को पहली बड़ी सफलता छात्रों की भागीदारी से मिली। 1973-74 के गुजरात नव निर्माण आंदोलन ने भ्रष्टाचार और महँगाई के विरोध में चिमनभाई पटेल सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इससे उत्साहित बिहार के छात्रों ने 1974 में जयप्रकाश नारायण से राज्य के कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। बाद में यही आंदोलन इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध व्यापक जनआंदोलन में बदल गया। जेपी ने पटना के गांधी मैदान से 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया। आंदोलन के दबाव में आपातकाल लगा, विपक्षी नेता जेल गए और प्रेस पर पाबंदियाँ लगीं–यह भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना गया। 1977 में पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई और लोकतंत्र की पुर्नस्थापना व लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन हेतु इस आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व रहा। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा आदि के नेतृत्व में उत्तराखंड का चिपको आंदोलन (1973) जंगलों व पर्यावरण संरक्षण की व्यापक जन चेतना का माध्यम बना।

नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985) मेधा पाटकर के नेतृत्व में सरदार सरोवर बाँध से प्रभावित किसानों, आदिवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू हुआ। आंदोलन ने बड़े बाँधों के सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ी। बाँध निर्माण रोकने में असफल रहने पर भी आंदोलन ने सरकारों को विस्थापितों के मुआवजे व पुनर्वास के लिए दबाव में लाया और यह सवाल उठाया कि विकास की कीमत कौन चुकाए तथा प्रभावितों के अधिकार कैसे सुरक्षित हों। वी पी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग (1990) लागू करने के विरोध में छात्रों का व्यापक आंदोलन हुआ, जिसमें राजीव गोस्वामी सहित कुछ युवाओं ने

आत्मदाह का प्रयास किया। मंडल के साथ उभरी 'कमंडल' की राजनीति ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को भी गहरा किया। महिला आंदोलनों ने दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ समान अधिकारों की मांग की। मुस्लिम महिलाओं के आंदोलनों ने गुज़ारा भत्ता, तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में प्रमुखता दी। श्रमिक आंदोलनों ने न्यायपूर्ण वेतन व श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के शुरुआती वर्षों में हुए निर्भया आंदोलन ने सरकार को यौन अपराधों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने के लिए विवश किया तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने भ्रष्टाचार और लोकपाल के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार से लेकर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार को मिली राजनीतिक चुनौती तक, भारतीय राजनीति में आंदोलनों के प्रभाव का एक नया दौर दिखाई दिया।

आज देश में फिर आंदोलन का माहौल बन रहा है। 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध चला लंबा किसान आंदोलन सरकार को कानून वापस लेने पर विवश कर गया और आंदोलनों की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण बना। इसके बाद 'काक्रोच जनता पार्टी' के बैनर तले नई पीढ़ी परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर एकत्रित हुई। गांधीवादी सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में 26 दिन की भूख हड़ताल की। अंततः 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने आंदोलनकारियों की अन्य मांगें भी स्वीकार कर लीं।

जेन जी के आंदोलनों की विशेषता सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क और त्वरित जनसंचार का प्रभावी इस्तेमाल है। विकेंद्रीकृत नेतृत्व ने युवाओं को तेजी से जोड़ा, जो पारंपरिक दलों की केंद्रीकृत राजनीति से भिन्न है, और भविष्य में दलों की कार्यप्रणाली, चुनावी रणनीतियों व सामाजिक-आर्थिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है। जेन जी का प्रभाव केवल युवाओं तक सीमित नहीं दिखता; प्रौढ़ मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सत्तारूढ़ दलों के लिए भविष्य की बड़ी राजनीतिक चिंता बन सकती है। पूर्ववर्ती आंदोलनों की तरह यह छात्र आंदोलन भी कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण और गांधीवादी सत्याग्रह की तरह अहिंसक रहा तथा व्यवस्था की कमियों को सुधारने के लिए आगे आया। वर्तमान निराशाजनक राजनीतिक माहौल में जेन जी के इन निडर युवाओं ने बदलाव की उम्मीद जगाई है। इस आंदोलन ने आलोचकों और प्रदर्शनकारियों को 'भारत-विरोधी ताकतों से पोषित' बताने वाली सत्ता पक्ष की पुरानी बयानबाजी की धार भी कुछ कुंद की है।

इस आंदोलन को लेकर कुछ सवाल और आशंकाएँ भी हैं–क्या लड़कियों के लिए भी अभद्र भाषा उतनी ही स्वीकार्य हो सकती है जितनी लड़कों के लिए? क्या सरकार को छात्रों से पहले संवाद नहीं करना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल–क्या जेन जी स्थापित राजनीतिक दलों को पीछे धकेलकर सत्ता तक पहुँच पाएगी? वर्तमान के घाघ राजनीतिज्ञ सोशल मीडिया पर उससे मुकाबला कैसे करेंगे और उसकी अनुभवहीनता भविष्य में शासन के लिए चुनौती बनेगी? भारत की स्वतंत्रता का अहिंसक संघर्ष अनेक देशों के लिए उपनिवेशवाद से मुक्ति का उदाहरण बना, और गांधी की अहिंसा व सत्याग्रह आज भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा है। लोकतंत्र में आंदोलनों का होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि नागरिक चेतना और शासन को जवाबदेह बनाए रखने की जीवंत शक्ति है। आंदोलनों की परंपरा बताती है कि स्वराज और लोकतंत्र चुनावों से नहीं, बल्कि नागरिकों की सतत भागीदारी और प्रतिरोध से जीवित रहते हैं।

नवीन बस स्टैंड पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया

सोहागपुर। नवीन बस स्टैंड परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष ने तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबीता राठौर, तहसीलदार शक्तिसिंह तोमर, एसडीओ पुलिस संजू चौहान,

नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी सहित कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इसी अवसर पर विभिन्न शालाओं के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। जिसमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत देशभक्ति की प्रस्तुति पर उपस्थित जनता-जनार्दन ने तालियों की गड़गड़ाहट से छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। अतिथियों ने सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलबंशी सहित, जनप्रतिनिधि,भाजपा एवं कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। गांधी चौक पर कांग्रेस पार्षद श्रीमती हेमलता मोहन कहार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर हर तबके की मातृशक्ति,युवा वर्ग एवं कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रगान के उपरांत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश का वाचन किया गया। झंडा वंदन के बाद कांग्रेस जनों भाजपा सरकार पर कटाक्ष करने के लिए मूंग खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर पिछले 10 दिनों से अपनी उपज तुलवाने के लिए केंद्रों पर खड़े परेशान किसानों को कांग्रेसजनों ने उनका मुंह मीठा कराया । उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान झंडा फहराकर देश के प्रति

अपनी निष्ठा का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार भिन्न परिस्थितियों के चलते किसान भारी संख्या में गांव के बजाय तुलाई केंद्रों पर ही मौजूद हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। उक्त आशय की जानकारी नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल ने इस प्रतिनिधि को दी।

सनफ्लावर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में किन्नर रागिनी ने तिरंगा फहराया

सोहागपुर। देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सनफ्लावर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में किन्नर रागिनी के मुख्य आतिथ्य में झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर किन्नर रागिनी के साथ किन्नर सीता, किन्नर स्वीटी, किन्नर नेहा, किन्नर आलिया आदि उपस्थित थे। इस अवसर सन फ्लावर स्कूल के संचालक एवं परिवार के सदस्य भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते किन्नर रागिनी ने कहा राष्ट्रीय पर्व के पावन दिन हम लोगों को बुलाकर शाला परिवार ने सभी का मान बढ़ाने के साथ समाज में स्थान दिखाकर उन्हें भारत का नागरिक होने का गर्व का अनुभव कराया है । आपने शाला के समस्त छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करके आशीर्वाद प्रदान किया।

जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक किसान केन्द्रों से कर सकते है उठाव

ई-टोकन व्यवस्था बंद, अब पुरानी पद्धति से मिलेगा खाद

एस. द्विवेदी, बैतूल। किसानों को खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन (ई-विकास) व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई है। अब जिले में करीब दो लाख किसानों को हाइब्रिड (मैनुअल ऑनलाइन) व्यवस्था के तहत खाद का वितरण किया जाएगा। नई व्यवस्था में रजिस्टर में किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कृषि रकबे की जानकारी दर्ज कर पुरानी पद्धति से खाद उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों ने पहले ही ऑनलाइन पंजीयन कर ई-टोकन प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी उनके निर्धारित वितरण केंद्र से खाद मिलेगी। सरकार के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने बदली व्यवस्था लागू कर दी है। जिले के शासकीय विक्रय केंद्रों पर खाद स्टॉक की जानकारी अपडेट करने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों का डेटा संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को रकबे के हिसाब से मिलेगी खाद- हाइब्रिड व्यवस्था में किसान को आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रकबे के हिसाब से खाद मिलेगी। इसमें यूरिया और डीएपी अथवा एनपीके शामिल होंगे। अधिक रकबा होने पर किसान को दोबारा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ऋण पुस्तिका की प्रति जमा कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृषि विभाग के उप संचालक रामगोपाल रजक ने बताया कि ई-विकास पोर्टल को फिलहाल बंद कर हाइब्रिड व्यवस्था से खाद वितरण के निर्देश मिले हैं। किसानों को रकबे के अनुसार आधार और मोबाइल नंबर दर्ज कर नकद खाद दी जाएगी। किसानों का डेटा अपडेट किया जा रहा है।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए दर्ज होगी जानकारी- खाद वितरण और स्टॉक की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कृषि विभाग ने मैनुअल वितरण करने वाले किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कृषि रकबे का विवरण निर्धारित फॉर्मेट में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बाद में यही जानकारी पीओएस मशीन के माध्यम से पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। दरअसल ऑनलाइन बुकिंग में सर्वर की समस्या, तकनीकी कठिनाइयों और किसानों को हो रही असुविधा के कारण इसे फिलहाल रोका गया है। बताया जाता है कि इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के लिए सुझावों के बाद ही भविष्य में कोई नई या सुधरी हुई प्रणाली लाई जाएगी। फिलहाल किसानों को केंद्रों पर जाकर पुराने तरीके से सीधे खाद प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

इनका कहना है -

ई-टोकन व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई है। किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कृषि रकबे की जानकारी दर्ज कर पुरानी पद्धति से खाद उपलब्ध किया जा रहा है। जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसान केन्द्रों से खाद ले सकते है।
- रामगोपाल रजक,
उप संचालक, कृषि विभाग बैतूल

खाद के लिए फिर किसानों को लगानी होगी लाइन

खाद वितरण के लिए शुरू की गई ई-टोकन प्रणाली बंद होते ही खाद के लिए किसानों को केन्द्रों पर लाइन लगाना पड़ेगा। जून, जुलाई में बोवनी के समय खाद का वितरण ई-टोकन प्रणाली से किया, जिसमें किसानों ने ऑनलाइन टोकन बुक कर समिति का चयन किया व समिति का खाद प्राप्त कर लिया। हालांकि इस प्रक्रिया में कई किसानों को खाद लेने दूरी तक जाना पडा, लेकिन ई-टोकन प्रणाली में कतारें कहीं दिखाई नहीं दीं। अब ई टोकन प्रणाली में बुकिंग ही नहीं हो रही। किसानों को गोदाम से खाद का वितरित की जा रही है जहां किसानों को लंबी लाइन में लगकर खाद प्राप्त करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि किसी भी प्रणाली से मिले, लेकिन किसानों को सहूलियत से खाद मिलना चाहिए।

जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक

कृषि विभाग के अनुसार जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसान घबराये नहीं, सभी किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि विभाग के अनुसार अभी वर्तमान में 24, 426 मेट्रिक टन खाद का स्टॉक जिले में उपलब्ध है। जिसमें यूरिया का 10,326 मेट्रिक टन खाद, एसएसपी 5019 एमटी, डीएपी 2818 एमटी, पोटाश 761 एमटी और एनपीके का 5502 मेट्रिक टन खाद स्टॉक मौजूद है। कृषि विभाग का कहना है कि किसानों को खाद की कमी नहीं आने दी जायेगी। फिलहाल जो स्टॉक मौजूद है, उसका वितरण किया जायेगा। यदि इसके बाद भी खाद की आवश्यकता पड़ती है तो खाद बुलाई जायेगी।

स्वतंत्रता दिवस पर जिला अध्यक्ष निलय डागा ने किया ध्वजारोहण

बैतूल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल द्वारा गांधी चौक कोठीबाजार में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। इसके बाद उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज आहूजा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के विभिन्न विभागों, प्रकोष्ठों, सेवा दल, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस सहित सभी मंडलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कांग्रेसजनों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सेनानियों और देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले महापुरुषों को नमन किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता-अखंडता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने हमेशा देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए कार्य किया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी एकजुटता के साथ जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी आवाज बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव समीर खान, संगठन महासचिव ब्रजभूषण पांडे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी बैतूल में मनाया स्वतंत्रता दिवस

बैतूल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी बैतूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एलडीएम आशुतोष कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं ब्यूटी पार्लर के 35 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पारंपरिक लोक गीतों एवं देशभक्ति के संगीत द्वारा कई नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अतिथिगणों द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कोठीबाजार के चीफ मैनेजर अजय पांडे, आरसेटी डायरेक्टर एम. शेंडे एवं आरसेटी के समस्त स्टाफ सोनम धोटे, अरविन्द देशमुख, शिखा सोनी, मनोज पवार, नीलम रजक एवं समस्त प्रशिक्षणार्थीगण उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें : कलेक्टर

● 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश ● बीएसएनएल नेटवर्क व्यवस्था सुचारू रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए श्रम विभाग, जल संसाधन, जनजातीय कार्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को लंबित शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो और संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से समन्वय कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। बैठक में कलेक्टर ने एसडीएम स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने मुलताई, प्रभात पट्टन, बैतूल ग्रामीण एवं भैंसदेही के तहसीलदारों को लंबित शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सभी अधिकारियों को 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ.

सोनवणे ने जिले के बीजादेही, सावलमेंढा, लादी, आमला, चिचोली एवं गवासेन क्षेत्रों में बीएसएनएल नेटवर्क एवं इंटरनेट व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित बीएसएनएल अधिकारी से नेटवर्क की स्थिति एवं टॉवर्स के संचालन की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी बीएसएनएल टॉवर्स को सुचारू रूप से संचालित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था बेहतर रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ एवं संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में फील्ड विजिट कर नेटवर्क व्यवस्था का मौके पर अवलोकन करने तथा समस्या पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लंबित पेंशन प्रकरणों का करें निराकरण- कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने लंबित पेंशन प्रकरणों की भी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शिविर में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग को प्रगति लाने के निर्देश दिए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शिविर में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर डीईओ और डीपीसी को स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने के दिए सख्त निर्देश- जिला पंचायत की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जनपद सीईओ से पूर्ण, अपूर्ण आवासों की जानकारी ली और एक सप्ताह में आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। राजस्व की समीक्षा के दौरान विवादित, अविवादित नामंतरण, बंटवार के लंबित प्रकरणों में सातनेर तहसीलदार, दुनावा, बोरदेही, चिचोली, आमला तहसीलदार और नायाब तहसीलदार को प्रगति लाने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान मुलताई, बैतूल, आमला, आठनेर, भैंसदेही, प्रभातपट्टन में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित तहसीलदार, नायाब तहसीलदार को प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए।

जिले में उत्साह और उमंग के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस

शान से लहराया तिरंगा, गूंजा राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगाान

आकर्षक मार्च पास्ट, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह ने बढ़ाई समारोह की गरिमा

राजगढ़ , निप्र। जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ हुई। इसके पश्चात पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग श्री नारायण सिंह पंवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं सलामी गारद का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात हर्ष एवं उल्लास के प्रतीक स्वरूप आकाश में रंग-बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। समारोह में मुख्यमंत्री का संबोधन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों को संदेश दिया। साथ ही राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार ने मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम जारी संदेश का भी वाचन किया। इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक राजगढ़ श्री अमर सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

मुख्य समारोह में सशस्त्र बल प्लाटून द्वारा हर्ष फायर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार ने खुली जीप में परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी भी उनके साथ थे।

इस समारोह में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जिला नगर सेना, जिला पुलिस बल (महिला), स्काउट दल उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रेडक्रास दल सीएम राइज स्कूल, स्काउट दल माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन एवं शौर्य दल (महिला सशक्तिकरण) महिला एवं बाल विकास राजगढ़ की टुकड़ियों द्वारा आकर्षक परेड प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि ने इस दौरान परेड कमांडर्स का परिचय भी प्राप्त किया। परेड की मुख्य कमांडर रक्षित निरीक्षक सुश्री अश्विनी बंडोड रहीं। तत्पश्चात मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं लोकतंत्र सेनानियों का शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री अशोक शर्मा, श्री ब्रजमोहन आचार्य एवं श्री राधा वल्लभ विजयवर्गीय, नरसिंहगढ़ को सम्मानित कर उनके योगदान के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त की गई।

कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं द्वारा रंग-बिरंगी गणवेश में आकर्षक सामूहिक पीटी का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर सराहा। इसके उपरान्त स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत-संगीत एवं देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह और उमंग का वातावरण बना दिया। छात्र-छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों को उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा।

इसी क्रम में जिले के विकास, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बदलते दौर का मध्यप्रदेश ङ्क राजगढ़ जिले की विकास गाथा पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में राजगढ़ जिले में हुए विकास कार्यों, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी को संकलित किया गया है। पुस्तिका की प्रतियां जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारीगण एवं आमजन को उपलब्ध कराई गईं, ताकि जिले की विकास यात्रा और बदलते राजगढ़ की तस्वीर से प्रत्येक वर्ग परिचित हो सके।

कार्यक्रम के अंत में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार, सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक राजगढ़ श्री अमर सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

संक्षिप्त समाचार

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन दाल मिल स्थापना के लिए आवेदन 30 अगस्त तक

राजगढ़ , निप्र। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत जिले में प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट सहित दाल मिल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल http://chc.mpdage.org/ के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला राजगढ़ के नाम से बनाया जाएगा। आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के एफपीओ, सीएलएफ, पीएसीएस, अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति के लिए धरोहर राशि 1 लाख रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदकों के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित है। प्राप्त आवेदनों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कंप्यूटरीकृत लॉटरी 1 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल द्वारा की जाएगी। लॉटरी का परिणाम 1 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे से पोर्टल पर देखा जा सकेगा। चयनित आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अवधि 4 से 5 सितंबर 2026 तक रहेगी तथा समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित रहेगा। उप संचालक कृषि के अनुसार भवन, गोदाम एवं भंडारण संरचना के निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी का अधिकतम हिस्सा कुल पात्र सब्सिडी राशि का 30 प्रतिशत होगा। यह सीमा परियोजना लागत के 33 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित कुल पात्र सब्सिडी राशि के अधिकतम 30 प्रतिशत तक मान्य होगी। एफपीओ, सीएलएफ, पीएसीएस एवं अन्य उपक्रमों के लिए पात्रता के संबंध में बताया गया है कि संबंधित उपक्रम कम से कम दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत एवं क्रियाशील होना चाहिए।

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने किया कलेक्ट्रेट कार्यालय में ध्वजारोहण

देशभक्ति, संवेदनशीलता और आत्मीयता का दिया संदेश

राजगढ़ , निप्र। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रताप सिंह चौहान सहित समस्त अधिकारी- कर्मचारीगण उपस्थित रहे। समारोह के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है। हमें अपने कार्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए।

शासकीय सेवा में रहते हुए हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व आमजन की सेवा करना है। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनके निराकरण के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि शासकीय सेवा में हमें प्रतिदिन समाज और अपने सहकर्मियों से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। अनुभवों और अच्छे विचारों को अपने कार्य में अपनाकर हम अपनी कार्यक्षमता को और बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रहित में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में जिला जनसम्पर्क कार्यालय के हेल्पर श्री गनावे हुए सम्मानित

राजगढ़ , निप्र। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में जिला जनसम्पर्क कार्यालय राजगढ़ के हेल्पर श्री मनोहरलाल गनावे को उनके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार, सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक श्री अमर सिंह यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया।

श्री गनावे द्वारा जिला जनसम्पर्क कार्यालय में लेखा संबंधी कार्यों के साथ-साथ मीडिया समन्वय एवं कार्यक्रमों की कवरेज व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया।

विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों के समन्वय, कवरेज व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में उनके द्वारा सक्रियता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य किया गया।

उनके सराहनीय योगदान एवं कर्तव्यनिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके कार्य के प्रति समर्पण एवं जिम्मेदारी की सराहना के रूप में दिया गया।

उर्वरक विक्रय आगामी आदेश तक बंद

राजगढ़ , निप्र। किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल एवं प्रदेश के उर्वरक विक्रेताओं के वास्तविक स्टॉक का रिकन्सिलिएशन (मिलान) किया जाना है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त, 2026 की शाम 7 बजे से प्रदेश में उर्वरक विक्रय आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। विक्रय बंद की अवधि के दौरान समस्त विपणन संघ के विक्रय केन्द्रों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, एमपी एग्रो के विक्रय केन्द्रों एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों द्वारा किसी भी प्रकार के अनुदानित उर्वरकों का विक्रय नहीं किया जाएगा। किसानों को उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा शासन के निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं उर्वरक विक्रय केन्द्रों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से अपील है कि वे उर्वरक विक्रय पुनः प्रारंभ होने संबंधी शासन के आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा करें तथा अधिकृत विक्रय केन्द्रों से ही उर्वरक का क्रय करें।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित विशेष भोज में शामिल हुए राज्यमंत्री

राजगढ़ , निप्र। प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग श्री नारायण सिंह पंवार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना अंतर्गत आयोजित विशेष भोज में शामिल हुए। इस दौरान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार सहित सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक श्री अमर सिंह यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने विघार्थियों के साथ बैठकर भोजन किया।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत

राज्य शिक्षा केंद्र संचालक का राजगढ़ जिले का भ्रमण

राजगढ़ , निप्र। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक द्वारा राजगढ़ जिले का भ्रमण कर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावास, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था तथा विद्यार्थी हित से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मैदानी स्तर पर निरीक्षण एवं समीक्षा की गई। भ्रमण के दौरान सांदीपनी विद्यालय नरसिंहगढ़, प्राथमिक विद्यालय बांडी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास तथा डाइट राजगढ़ का निरीक्षण किया गया। संचालक ने संस्थाओं में उपलब्ध शैक्षणिक एवं भौतिक संसाधनों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण-अधिगम व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्थाओं तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान संचालक ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ सहज एवं आत्मीय संवाद करते हुए भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, मात्रा, स्वच्छता तथा भोजन वितरण की व्यवस्था के संबंध में विद्यार्थियों से सीधे जानकारी ली।

विद्यार्थियों से यह भी जाना गया कि उन्हें नियमित रूप से निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं तथा भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था से वे संतुष्ट हैं या नहीं। संचालक महोदय द्वारा भोजन की स्वच्छता, रसोई परिसर, खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया तथा विद्यार्थियों को भोजन परोसने की व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया।

विद्यार्थियों के साथ भोजन करने का उद्देश्य केवल मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का निरीक्षण करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और अनुभवों को समझना भी रहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी सहज वातावरण में अपनी बात रखी। संचालक महोदय ने विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन ग्रहण करने, नियमित विद्यालय आने तथा मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि विद्यार्थियों को निर्धारित मापदंड एवं मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ, पौष्टिक एवं गरम भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता में किसी भी प्रकार की कमी न रहे।

योजनाओं एवं शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा : भ्रमण के दौरान जिले में संचालित विभिन्न विद्यार्थी-केंद्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। इसमें विशेष रूप से पाठ्यपुस्तक वितरण, अपार आईडी निर्माण, साइकिल वितरण, विद्यार्थी नामांकन एवं ड्रॉपआउट की स्थिति की समीक्षा की गई। संचालक द्वारा निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो। पाठ्यपुस्तकों का वितरण पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने, शेष विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराने तथा पात्र विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की कार्यवाही समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नामांकन एवं ड्रॉपआउट की समीक्षा के दौरान विद्यालयवार स्थिति पर ध्यान देते हुए ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करने पर जोर दिया गया जो किसी कारण से विद्यालय आना छोड़ चुके हैं।

छात्रावास एवं प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण

नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के आवास, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा, अध्ययन व्यवस्था एवं उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया गया। विद्यार्थियों से उनकी दिनचर्या एवं छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में संवाद कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। इसी प्रकार डाइट राजगढ़ में प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी लेते हुए शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपलब्ध संसाधनों तथा प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी एवं व्यवहारिक बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संचालक द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन की व्यवस्थाओं एवं योजनाओं को आमजन एवं विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। इसलिए शिक्षा विभाग की प्रत्येक गतिविधि का केंद्र विद्यार्थी, उसकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास होना चाहिए। उन्होंने मैदानी अधिकारियों एवं संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण विकसित किया जाए।

राइट क्लिक

'दिमागी नक्सल' नरेटिव बदलने की नई सियासी फिरकी तो नहीं?

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से अपने 13वें भाषण में नए शब्द 'दिमागी नक्सल' का जिक्र कर देश में एक नई राजनीतिक और बौद्धिक बहस को हवा दे दी है। सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह जुमला किसके लिए और क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि 'अर्बन नक्सल' तो पहले से चलन में था। तो क्या? 'दिमागी नक्सल' उसके आगे की और कोई अदृश्य चीज है? या फिर यह विपक्ष और जेन ज़ी के हावी होते मुद्दों से ध्यान हटाने की नई राजनीतिक फिरकी है? 'दिमागी नक्सल' कहकर प्रधानमंत्री किस पर निशाना साध रहे थे और किन तत्वों से देश को आगाह कर रहे थे? इसको लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। लोग अपने नरेटिव के हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में खासतौर से कहा कि 'दिमागी नक्सल' वो लोग हैं, जो कहीं न कहीं समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जो शायद विकसित भारत के निर्माण को नहीं देख सकते। 'दिमागी नक्सली' विचारधारा वाले लोग समाज को गलत रास्ते पर ले जाने का मौका तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऐसे लोगों को 'पहचानने' और 'अलग थलग' करने की अपील की। हालांकि प्रधानमंत्री ने 'दिमागी नक्सल' के रूप में किसी व्यक्ति अथवा संगठन विशेष का नाम नहीं लिया। फिर भी मानो दाढ़ी में छिपा तिनका खुद ही बोल उठा कि मैं यहां हूं। अब सवाल यह कि अगर पीएम सीधे किसी पर वार नहीं कर रहे थे तो उनके इस जुमले का असल राजनीतिक मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल में जेन जी और उसके पहले चले सरकार विरोधी आंदोलनों और सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे एंटी मोदी नरेटिव से ध्यान हटाने के लिए 'दिमागी नक्सल' का नया शोशा उछाला गया है? अगर ऐसा है तो यह कारगर होता दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब दूसरे बुनियादी सवालों से हटकर 'दिमागी नक्सल' पर ही लामबंद होते दिख रहे हैं। इस बीच सीजेपी की तर्ज पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी नामक व्यंग्यात्मक वर्चुअल पार्टी भी सोशल मीडिया पर बन गई है, जिससे करीब 2 लाख लोग जुड़ गए हैं।

जाहिर है यह बहस अभी और चलेगी, जब तक कि यह तय न हो जाए कि इस तीर का असली लक्ष्य कौन है और वो कहां तक निशाने पर लगा है। बहुतों का मानना है कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण की सुर्खी 'दिमागी नक्सल' ही थी। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ अपनी सरकार की निर्णायक कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने 'हथियारी नक्सलियों' को तो खत्म कर दिया कि लेकिन उनके वैचारिक पोषक और समर्थक 'दिमागी नक्सली' व्यवस्था में घुसपैठ कर नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात देश के गृहमंत्री अमित शाह के उस दावे के संदर्भ में कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में हिंसक नक्सलवाद अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।

नक्सल शब्द की पश्चिम बंगाल में आज से करीब साठ साल पहले नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारों के शोषण और अत्याचार तथा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ वामपंथियों के एक वर्ग द्वारा संगठित किसानों मजदूरो के हिंसक विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। यह बगावत इस विचार से प्रेरित थी कि देश में राजनीतिक-सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से आ सकती है। यह पूंजीवादी शोषक व्यवस्था के खिलाफ खुला और हिंसक विद्रोह था। हालांकि न तो व्यवस्था बदली और न ही शोषण खत्म हुआ। अलबत्ता लंबे समय तक रक्तपात जरूर चलता रहा। यही नहीं, जिन देशों में इस तरह की सफल क्रांति हुई, उनमें से अधिकांश इस सिद्धांत से किनारा कर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूंजीवाद की गोद में बैठ चुके हैं।

यहां सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर दिमागी नक्सल कहा किसे? क्या यह केवल देश में हिंसक क्रांति के समर्थक दिमागों के बाकी बचे अवशेषों के लिए कहा गया अथवा इसके दायरे में वो सभी लोग हैं, जो मोदी, भाजपा और संघ से अहसमत हैं, या फिर वो तमाम लोग और खासकर जेन ज़ी भी है, जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा के समर्थक न होकर केवल अपने हकों की मांग कर रही है? और सियासी पार्टियां उन्हें पीछे से समर्थन दे रही हैं। कुछ विरोधियों का यह भी कहना है कि संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पारित करने में नाकाम रही सरकार अब 'दिमागी नक्सल' का नया शगूफा लेकर आई है।

अगर असहमति और न्याय मांगना ही 'दिमागी नक्सल' होना है तो फिर झारखंड या बिहार में न्याय मांगने वाले छात्र क्या हैं? उसी तरह अगर बंदूक के जरिए ही सामाजिक-राजनीतिक न्याय की प्राप्ति संभव होती तो इस देश में क्रांति कब की आ जाती? लेकिन यह देश मूलतः गांधी के रास्ते पर चलने और उसे ही संघर्ष का स्वाभाविक और बहुमान्य स्वरूप मानने वाला देश है। हालांकि इसके लेकर भी असमतियां रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसी सत्ता परिवर्तन भी वोट के जरिए हो, यह सर्व स्वीकार्य है।

जहां तक 'दिमागी नक्सल' की व्याख्या की बात है तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु मिश्रा ने कहा कि दिमागी नक्सल 'गांधीयन्स विद गन्स' है। यानी बंदूकधारी गांधीवादी। यह अपने आप में ही विरोधाभासी है। गांधी के साथ लाठी तो हो सकती है, गन कैसे हो सकती है। सुधांशु शायद यह कहना चाहते हैं कि दिमागी नक्सल 'प्रच्छन्न गांधीवादी' हैं। जो बात तो गांधी की करते हैं, लेकिन हिंसा के जरिए देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। किसी भी मुद्दे और आंदोलन का इसका माध्य म बनाने की कोशिश की जाती है। मोदी सरकार की नीतियों और कानूनों आदि की गलत अथवा अर्द्धसत्यात्मक व्याख्या की जाती है। 'दिमागी नक्सल' से खुद को जोड़ने वाली पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृहमंत्री रहे पी. चिदम्बरम् की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने 'दिमागी नक्सल' होने पर गर्व है। इस पर एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि 'दिमागी नक्सल' शब्द का पहली बार प्रयोग तो चिदम्बरम ने ही 2010 में किया था, जैसे कि 'हिंदू आतंकवाद।' यानी मोदी ने तो उसे आज के संदर्भ में दोहराया भर है। इसी तरह आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भी दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। वैसे ज्यादातर विपक्षी नेताओं का मानना है कि बात भले ही दिमागी नक्सली की हो, असल में इसकी आड़ में हर सरकार विरोधी स्वर को दबाने की चाल है। माकपा महासचिव एम. ए. बेबी ने कहा कि उनकी पार्टी नक्सलवाद का विरोध करती है, लेकिन सरकार द्वारा माओवादियों से निपटने में कानून और संविधान का उल्लंघन करने के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 'नक्सलवाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा है, जिससे हम सभी पूरी तरह असहमत हैं। बेबी के मुताबिक यह कहना कि उनके दिमाग में माओवादी विचार हैं, एक सुविधाजनक और बेहद आपत्तिजनक आरोप है।'

इसमें दो राय नहीं कि व्यवस्था से नाराज और परेशान हर व्यक्ति 'दिमागी नक्सल' तो नहीं हो सकता। फिर नक्सल होने के लिए भी 'दिमाग' की दरकार तो है। भले ही खुराफाती क्यों न हो। वरना यह शब्द ही नहीं बनता। इसके पहले प्रचलित 'अर्बन नक्सल' में ऐसी कोई प्री-कंडीशन नहीं थी।

विपक्ष को आशंका है कि 'दिमागी नक्सल' की आड़ में सरकार हर उस शख्स को दबोच सकती है, जो सवाल करे, सरकार की नीतियों और मंशा पर उंगली उठाए। व्यवहार में ऐसा होगा या नहीं, होगा तो किस हद तक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। थोड़े बहुत 'दिमागी नक्सल' समूचे देश के मानस को नहीं बदल सकते। बहरहाल देश में मोदी के भाषण के बाद नया दिमागी नरेटिव वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें हर कोई अपनी सुविधा और पूर्वाग्रह के साथ तलवार भांज रहा है। इसका अंजाम देखने के लिए हमे रूकना होगा।

सावन माह के तीसरे सोमवार को भवानी चौक कर्फ्यू वाली माता मंदिर से बाबा बटेश्वर की यात्रा नगर भ्रमण के लिए शुरू हुई, यात्रा बाबा बटेश्वर महादेव कीर्तन मंडल द्वारा निकाली गई। : फोटो प्रवीण वाजपेई

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मप्र के 8 बड़े चेहरे

लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल महामंत्री, कविता पाटीदार मंत्री, वीडी शर्मा-बंसीलाल गुर्जर को भी जिम्मेदारी

भोपाल (नप्र)। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ा है। पार्टी की जारी सूची में मप्र के 8 नेताओं को अहम राष्ट्रीय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें लाल सिंह आर्य, गजेंद्र पटेल, कविता पाटीदार, विष्णु दत्त शर्मा, बंसीलाल गुर्जर, तरुण चुघ, सौदान सिंह और आशीष उषा अग्रवाल शामिल हैं। इनमें 4 बीजेपी सांसद हैं।

मप्र से लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार, विष्णु दत्त शर्मा और सौदान सिंह को लेकर पहले ही जानकारी दी थी कि इन्हें भाजपा की राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सोमवार को जारी राष्ट्रीय टीम की सूची में इन नामों पर मुहर लग गई। नई सूची में लाल सिंह आर्य को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है।

सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री बनाया गया है, जबकि मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुर्जर इससे पहले मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा से जुड़े आशीष उषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है।

लाल सिंह आर्य- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष- लाल सिंह आर्य भाजपा के वरिष्ठ दलित नेताओं में शामिल हैं। वे मध्य प्रदेश की गोहद विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

गजेंद्र पटेल- राष्ट्रीय महामंत्री- 51 वर्षीय गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। 2017 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद वे प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष रहे।

कविता पाटीदार- राष्ट्रीय मंत्री- 52 वर्षीय कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष और भाजपा की प्रदेश महामंत्री रह चुकी हैं।

विष्णुदत्त शर्मा - प्रकोष्ठ संकुल राष्ट्रीय संयोजक- खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा भाजपा के प्रमुख संगठनात्मक नेताओं में शामिल हैं। वे फरवरी 2020 से जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 में पहली बार खजुराहो से लोकसभा सांसद बने और 2024 में दोबारा निर्वाचित हुए। अब उन्हें प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है।

सौदान सिंह- राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री- विदिशा जिले के कागपुर के रहने वाले सौदान सिंह का भाजपा की नई टीम में कद बढ़ा है। वे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें राष्ट्रीय सह-महासचिव (संगठन) बनाया गया है और उनका मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा।

तरुण चुघ- राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी

मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया है। वे इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। नई टीम में उन्हें केंद्रीय कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है।

बंसीलाल गुर्जर- किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष

बंसीलाल गुर्जर मध्य प्रदेश भाजपा के प्रमुख किसान नेताओं में गिने जाते हैं। संगठन में उन्होंने विभिन्न जिम्मेदारियां संभाली हैं और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। 2024 में वे मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद बने। अब भाजपा ने उन्हें किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है।

आशीष उषा अग्रवाल- राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक

आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया संगठन में सक्रिय रहे हैं। वे प्रदेश स्तर पर पार्टी की मीडिया गतिविधियों और संचार व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। अब भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में उन्हें राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर, भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी संगठन के अलग-अलग क्षेत्रों में दिखाई देती है। इनमें संगठन, आदिवासी-दलित राजनीति, किसान मोर्चा और मीडिया सभी प्रमुख क्षेत्रों में प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी मिली है।

भोपाल के नीलम पार्क में नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन

6 साल से डिग्री, परीक्षा और छात्रवृत्ति का इंतजार; लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन की चेतावनी

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने सोमवार को भोपाल के नीलम पार्क में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि नर्सिंग शिक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और न्यायिक प्रक्रिया के कारण उनका भविष्य पिछले करीब छह साल से प्रभावित है। समय पर परीक्षाएं नहीं होने, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने तथा छात्रवृत्ति में देरी से छात्रों में नाराजगी है।

प्रदर्शन में प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से आए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के छात्र शामिल हुए। छात्रों ने कहा कि कॉलेजों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया और उसकी वैधता की जिम्मेदारी छात्रों की नहीं है। यदि किसी कॉलेज को गलत तरीके से मान्यता दी गई है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित शासन-प्रशासन और कॉलेज प्रबंधन की तय होनी चाहिए। छात्रों का कहना है कि इसकी सजा विद्यार्थियों को भुगतनी पड़ रही है।

लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी

इस दौरान मनोज रजक ने बताया कि सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल ठोस निर्णय लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार करेंगे। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वे परीक्षा, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। इससे आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले में जल्द निर्णय लेकर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बचाने की मांग की।

छात्रों की प्रमुख मांगें

- नर्सिंग मामले की जल्द से जल्द स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई कराकर नर्सिंग छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए।
- बीएस नर्सिंग और जीएनएम के सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं बिना विलंब एक साथ कराई जाएं। इसमें स्टुबल अनस्टुबल और ग्वालियर क्षेत्र के 56 कॉलेजों के विद्यार्थी भी शामिल हैं।
- बैच 2020-21 के विद्यार्थियों को दिसंबर 2026 तक डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया जाए।
- छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए।
- नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और उससे जुड़ी अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय कर विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए।

महाविद्यालय आवंटित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर

18 अगस्त को सायं 5 बजे तक शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे विद्यार्थी

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार के निर्देश पर, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ई-प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत अतिरिक्त सीएलसी चरण में अंतिम तिथि 14 अगस्त तक महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत भी प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर सके विद्यार्थियों को प्रवेश सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसे विद्यार्थी 18 अगस्त को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा कर आवंटित महाविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि महाविद्यालय आवंटित होने के बाद निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं कर पाने के कारण कोई पात्र विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित न रहे। 14 अगस्त तक महाविद्यालय आवंटित हो चुके विद्यार्थियों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। विभाग द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। संबंधित विद्यार्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करते हुए प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

18 अगस्त शाम 5 बजे के बाद अवसर नहीं- विभाग ने स्पष्ट किया है कि 18 अगस्त को सायं 5 बजे के बाद प्रवेश शुल्क जमा करने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए महाविद्यालय आवंटित ऐसे सभी विद्यार्थी, जिन्होंने अभी तक प्रवेश शुल्क जमा नहीं किया है, निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय का ध्यान रखते हुए समय से पूर्व शुल्क जमा कर अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए इस अवसर से महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत प्रवेश शुल्क जमा करने से रह गए विद्यार्थियों को अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने में सुविधा मिलेगी और वे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अपनी उच्च शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रख सकेंगे।

किसानों की मेहनत का सम्मान बनाये रखने ढाल है कवच योजना

'कवच' बनी मध्यप्रदेश सरकार, फिर खुला संस्थागत ऋण का रास्ता, 4 अगस्त को मिली कवच योजना को मंजूरी

भोपाल (नप्र)। अन्नदाता किसान हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खेत से बाजार तक कृषि मूल्य संवर्धन श्रृंखला को सुदृढ़ करने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने, आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीक सहित प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन और संस्थागत वित्त की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर काम हो रहा है।

किसानों के हित में 'कवच योजना' राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। किसान की मेहनत का सम्मान हो, उनकी खेती-किसानी मजबूत हो और उसे आर्थिक सुरक्षा का भरोसा भी मिले, 'कवच योजना' इसी संकल्प को धरातल पर उतारने वाला कदम है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावित किसानों को राहत देने के साथ उन्हें फिर से सहकारी बैंकिंग प्रणाली एवं ऋण व्यवस्था की मुख्यधारा में लाना है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान कल्याण वर्ष (2026) में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के उन हजारों किसानों के लिए नई उम्मीद की तरह है, जिनके लिए लंबित जांच के कारण नये ऋण प्राप्ति का रास्ता बाधित हो गया था। अब 'कवच योजना' उनके लिए आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति देने और संस्थागत वित्त व्यवस्था से फिर से जुड़ने का माध्यम भी बनेगी।

योजना को कब मिली मंजूरी- मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में 4 अगस्त 2026 को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में किसान हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सहकारिता विभाग की 'कवच योजना' को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनका सम्मान एवं आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है।

किन्हें मिलेगा लाभ- कवच योजना से सहकारी समितियों से जुड़े ऐसे लगभग 5 हजार किसान लाभान्वित होंगे, जिनके ऋण खातों में हुई गड़बड़ियों की जांच लंबित रहने के कारण वे शासकीय योजनाओं और नई ऋण सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी प्रक्रिया अथवा जांच के लंबित रहने का प्रतिकूल प्रभाव किसान की खेती और आजीविका पर अनिश्चितकाल तक न पड़े। इसी भावना के अनुरूप 'कवच योजना' के जरिए प्रभावित किसानों को पुनः मुख्यधारा में लाकर उन्हें संस्थागत ऋण व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

आशीष अग्रवाल भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया संयोजक बने

भोपाल। मप्र भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर आशीष अग्रवाल ने भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन का हृदय से आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। यहां जारी बयान में अग्रवाल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा सौंपे गए इस महत्वपूर्ण दायित्व का मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करूँगा। उल्लेखनीय है कि आशीष अग्रवाल को अप्रैल 2023 से प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व कुशलता से संभाल रहे हैं। युवाओं में लोकप्रिय आशीष पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं।